

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना (SVS) 2025 -26

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को देश-विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन करने के लिए कुल 500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी जिसमें से विदेश के THE रैंक (शीर्ष 1 से 50) वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए कुल 150 सीटों तथा NIRF रैंक (शीर्ष 1 से 50) वाले भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए 350 सीटों पर स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2025-26 के तहत प्रथम चरण में दिनांक 21.08.2025 से 20.09.2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

इस हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थी अपनी सकल पारिवारिक औसत वार्षिक आय श्रेणी के आधार पर तीन श्रेणियों (E1 श्रेणी- औसत वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम, E2 श्रेणी- औसत वार्षिक आय 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक तथा E3 श्रेणी- औसत वार्षिक आय 25 लाख रुपए से अधिक) में जनआधार आईडी/नामांकन संख्या के माध्यम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship> पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, योजना में सम्मिलित देश एवं विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची एवं प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0141-2712918 पर संपर्क कर सकते हैं।

**आयुक्त
कॉलेज शिक्षा**

F7(4)/CCE/SVS/2025/05977

20 August, 2025

स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना दिशा-निर्देश

प्रस्तावना

राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष देश/विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन करने के लिये, “स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना” हेतु यह नवीनतम दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं। उक्त योजना में विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन के लिये 150 विद्यार्थियों एवं देश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 350 विद्यार्थियों को अनुमत किया जाना है।

1. नाम एवं प्रभाविता

- (i) **योजना का नाम—** उक्त योजना “स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना” कहलाएगी एवं दिशा-निर्देश “स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना दिशा-निर्देश” के नाम से जाने जाएंगे।
- (ii) ये दिशा-निर्देश ऐसे सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं तथा इन दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।
- (iii) इस योजना में स्कॉलरशिप हेतु प्रदान किये जाने वाले समस्त वित्तीय लाभ समय-समय पर होने वाले संशोधनों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रभावी किये जाने की दिनांक के अधीन ही प्रदान किये जायेंगे।
- (iv) पूर्व में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों पर 17.05.2024 को जारी गाइडलाईन ही प्रभावी रहेगी।
- (v) ये दिशा-निर्देश जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के मूल निवासी, ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है जो स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, पीएच.डी. और पोस्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रम हेतु विदेश में नवीनतम Times Higher Education (THE) वैश्विक रैंकिंग (सामान्य) अनुसार सूचीबद्ध किये हुए 1-50 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में (समस्त विषयों/पाठ्यक्रमों) (अनुलग्नक-A) एवं देश के 1-50 तक National Institutional Ranking Framework (NIRF) रैंकिंग (Overall NIRF General Ranking) वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु चुने गये हैं। विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों की रैंकिंग किसी भी स्थिति में कोर्स/पाठ्यक्रम अनुसार नहीं देखी जायेगी, विश्वविद्यालय की समग्र रैंकिंग ही मान्य होगी। देश के 1-50 तक NIRF रैंकिंग के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अभ्यर्थी योजना में आवेदन कर सकते हैं (अनुलग्नक-B)। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को देश/विदेश के

Signature valid



Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करना तथा केरियर बनाने में सहयोग करना, राजस्थान राज्य के विकास में ऐसे विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु उत्प्रेरित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आय के अनुसार अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

3. योजना के अन्तर्गत आय की श्रेणियाँ, विषय/पाठ्यक्रम एवं छात्रवृत्ति की संख्या

(i) **आय की श्रेणियाँ**— योजना में विद्यार्थी एवं उसके परिवार की औसत सकल (Gross) आय के अनुसार 3 श्रेणियाँ निर्धारित की गयी हैं :

विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से औसत वार्षिक सकल (Gross) आय 8.00 लाख रुपये से कम होने पर	विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से औसत वार्षिक सकल (Gross) आय 8.00 लाख से 25.00 लाख रुपये तक होने पर	विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से औसत वार्षिक सकल (Gross) आय 25.00 लाख रुपये से अधिक होने पर
श्रेणी E1	श्रेणी E2	श्रेणी E3

(ii) **विषय/पाठ्यक्रम**— वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु (अनुलग्नक—A के अनुसार) 01 अप्रैल को तत्समय उपलब्ध नवीनतम Times Higher Education Ranking **(1-50)** वैश्विक रैंकिंग/NIRF (Overall **1-50** General Rankings) के अनुसार विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसमें चयन का आधार विश्वविद्यालयों/संस्थानों की रैंकिंग ही होगी। **विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में (THE Ranking के अतिरिक्त) पृथक् से कोर्स की रैंकिंग मान्य नहीं होगी। विश्वविद्यालयों/संस्थानों की रैंकिंग पर पृथक् से कोई विचार नहीं किया जायेगा।** वर्ष 2025–26 हेतु योजनान्तर्गत 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 150 विद्यार्थियों का चयन विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में तथा 350 विद्यार्थियों का चयन देश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए होगा।

(iii) इस योजना के तहत देश के उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा जिन संस्थानों की NIRF के तहत रैंकिंग (Overall NIRF General Ranking) **1–50** तक हो। देश के उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चयन के लिए E1 एवं E2 श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। देश के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में से यदि किसी राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का कोई संघटक/ सम्बद्ध महाविद्यालय है तो उस विश्वविद्यालय के केवल उसी महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो NIRF की **1-50** college ranking में आते हैं।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

नवीनतम overall NIRF General Rankings 1-50 तक के universities/institutions एवं college ranking 1-50 का विवरण अनुलग्नक-B पर संलग्न है।

(iv) छात्रवृत्ति निम्नानुसार देय होगी –

- A. छात्रवृत्ति हेतु 02 चरणों में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में छात्रवृत्ति हेतु योजना में निर्धारित मूल्यांकनों के आधार पर प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों में केवल E1 श्रेणी के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।** द्वितीय चरण में प्राप्त आवेदनों में से सर्वप्रथम E1 श्रेणी के आवेदनों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उसके उपरान्त सीटें रिक्त रहने की स्थिति में प्रथम चरण में प्राप्त E2 श्रेणी के आवेदनों पर एवं इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय चरण में प्राप्त E2 श्रेणी पर एवं तत्पश्चात् E3 श्रेणी के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।
- देश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में छात्रवृत्ति हेतु योजना में निर्धारित मूल्यांकनों के आधार पर प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों में केवल E1 श्रेणी के आवेदनों पर विचार किया जायेगा। द्वितीय चरण में सर्वप्रथम E1 श्रेणी के आवेदनों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इसके उपरान्त सीटें रिक्त रहने की स्थिति में प्रथम चरण में प्राप्त E2 श्रेणी के आवेदनों पर एवं इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय चरण में E2 श्रेणी के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।

चरण	मूल्यांकन
प्रथम चरण	<ul style="list-style-type: none">E1 श्रेणी के प्राप्त आवेदन
द्वितीय चरण	<ul style="list-style-type: none">सर्वप्रथम E1 श्रेणी के प्राप्त आवेदनतत्पश्चात् प्रथम चरण में प्राप्त E2 श्रेणी के आवेदनइसके उपरान्त सीटें रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय चरण में प्राप्त E2 श्रेणी के प्राप्त आवेदनइसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रहने की स्थिति में प्रथम/द्वितीय चरण में प्राप्त E3 श्रेणी के प्राप्त आवेदन

- B. 30 प्रतिशत अवार्ड/सीटें कुल 500 सीटों (150 विदेश की एवं 350 देश की) में से केवल E1 एवं E2 श्रेणी की छात्राओं के लिए चिह्नित हैं।** E1 श्रेणी की छात्राओं को 30 प्रतिशत रक्तियों के लिए सर्वप्रथम चुना जायेगा, यदि E1 श्रेणी की छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं एवं सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उसी स्थिति में E2 श्रेणी की छात्राओं को चुना जायेगा। छात्राओं के लिए चिह्नित रक्तियां भर जाने पर सामान्य मेरिट के आधार पर भी अनुमत होगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

- C. E3 श्रेणी की छात्राएं केवल सामान्य मेरिट के आधार पर ही चयनित होंगी। इसके उपरान्त भी अवॉर्ड रिक्त रहने की स्थिति में छात्रों को यह अवार्ड आवंटित किये जा सकेंगे। E1 एवं E2 श्रेणी की छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत अवार्ड नहीं भरे जाने की स्थिति में छात्राओं की रिक्तियों का समायोजन अनुमत होगा तथा सामान्य मेरिट के आधार पर ही यह अवार्ड आवंटित किये जा सकेंगे।

4. योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की अवधि

पाठ्यक्रम की अधिकतम सीमा :-

उक्त योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम/अनुसंधान की न्यूनतम निर्धारित अवधि (बिना किसी अभिवृद्धि के) की पूर्णता तक अथवा नीचे उल्लिखित पाठ्यक्रम की अवधि तक, में से जो भी कम हो, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी:-

- (a) पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान- अधिकतम 1.5 वर्ष (एक वर्ष छह माह)।
 - (b) पीएच.डी.- अधिकतम 3 (तीन) वर्ष।
 - (c) स्नातकोत्तर उपाधि- अधिकतम 2 (दो) वर्ष।
 - (d) स्नातक उपाधि- अधिकतम 4 (चार) वर्ष, **एमबीबीएस** हेतु 4.5 वर्ष (चार वर्ष छह माह)।
- किसी भी स्थिति में कोर्स की निर्धारित अवधि में अभिवृद्धि (Extension) मान्य नहीं होगी।

5. ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन

छात्रवृत्ति हेतु सभी आवेदन राजस्थान सरकार के छात्रवृत्ति हेतु निर्दिष्ट पोर्टल पर आवेदक के स्वयं की SSO ID से आवश्यक रूप से जनाधार के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। विद्यार्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी के चयन किए जाने तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर ही निष्पादित की जाएगी एवं समय-समय पर विद्यार्थी को संबंधित सूचनाएं भी पोर्टल पर ही प्रेषित की जाएंगी।

- (i) संबंधित वित्तीय वर्ष में चयन हेतु मूल्यांकन के लिए तय की गई दिनांकों को विभाग की वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
- (ii) अभ्यर्थियों को पोर्टल पर आवेदन करने के लिए 2 चरण है। प्रथम चरण में 21 अगस्त, 2025 से 20 सितम्बर, 2025 तक तथा सीटें रिक्त रहने पर द्वितीय चरण, 21 अक्टूबर, 2025 से 20 नवम्बर, 2025 तक आवेदन किया जा सकेगा।
- (iii) समस्त पात्र अभ्यर्थियों की चरणबद्ध रूप से सूची एक साथ जारी की जायेगी। प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों की सूची 20 अक्टूबर, 2025 तक जारी कर दी जाएगी। द्वितीय चरण के चयनित अभ्यर्थियों की सूची 20 दिसम्बर, 2025 तक जारी कर दी जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

- (iv) यदि संख्यात्मक रूप से वांछित लक्ष्य पूर्ण नहीं होते हैं, तो राज्य सरकार की अनुमति से वर्ष में तृतीय बार आवेदन 01 जनवरी, 2026 से 15 जनवरी, 2026 तक आमंत्रित किये जायेंगे एवं आवेदनों पर निर्णय 31 जनवरी, 2026 तक किया जायेगा।
- (v) आवेदन में आपत्तियों के निराकरण हेतु अभ्यर्थी को 15 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी पोर्टल पर आवेदन में रही त्रुटियों को स्वयं के स्तर पर सुधार सकता है।

चरण	पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि	कमीपूर्ति की तिथि	सूची जारी करने की अनुमानित तिथि
प्रथम चरण	21.08.2025 से 20.09.2025	21.09.2025 से 05.10.2025	20.10.2025
द्वितीय चरण	21.10.2025 से 20.11.2025	21.11.2025 से 05.12.2025	20.12.2025
अंतिम चरण (लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में)	01.01.2026 से 15.01.2026	16.01.2026 से 22.01.2026	31.01.2026

- (vi) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति अवॉर्ड हेतु E1, E2, E3 श्रेणी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर चयन किया जाएगा। संबंधित वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को तत्समय उपलब्ध नवीनतम Times Higher Education (1-50) सामान्य वैश्विक रैंकिंग/NIRF (Overall 1-50 General Ranking) के अनुसार विश्वविद्यालयों की सूची सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

- (vii) उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्तियाँ प्रशासनिक विभाग के अधीन निहित रहेंगी।

6. पात्रता मापदण्ड

- (i) **मूल निवासी:**— आवेदनकर्ता को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा अभ्यर्थी को राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) **आयु:**— आवेदनकर्ता की आयु छात्रवृत्ति आवंटन से संबंधित वित्तीय वर्ष में 01 जुलाई को 35 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
- (iii) **अकादमिक उत्कृष्टता:**— (a) इस योजना में आवेदन हेतु केवल वे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिन्होंने अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 60% अथवा Equivalent Grade प्राप्त किया है। अतः आवेदक को अर्हता परीक्षा परिणाम आने के उपरान्त आवेदन करना होगा।
विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन हेतु आवेदन करते समय अभ्यर्थी को Conditional/Unconditional Offer Letter/Admission letter प्रस्तुत करना होगा। देश के

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन हेतु आवेदन करते समय अभ्यर्थी को प्रवेशपत्र (Admission letter) प्रस्तुत करना होगा।

(b) आवेदन के समय अभ्यर्थी ने जिस कोर्स हेतु आवेदन किया है अभ्यर्थी द्वारा अन्तरिम चयन (Provisional Selection) की तिथि से 02 माह की अवधि में ही उसी कोर्स, इन्टेक/सेमेस्टर का व विश्वविद्यालय/संस्थान का Unconditional Offer Letter/Admission Letter अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। तथापि किसी भी प्रकार की वित्तीय भार्त (फीस जमा करवाना या अन्य कोई राशि या प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड आदि), जिसे Offer Letter में सम्मिलित किया गया है, से अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।

- (iv) **द्वितीय, तृतीय से लेकर अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी**— इस योजना में आवेदन हेतु उन विद्यार्थियों को भी पात्र माना जायेगा, जिन्होंने उपरोक्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पूर्व सत्रों में प्रवेश लेकर वर्तमान में भी कोर्स पूर्ण होने के प्रयोजन से अध्ययनरत अर्थात् छात्रवृत्ति आवेदन हेतु द्वितीय, तृतीय से लेकर अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी भी पात्र होंगे।
- (v) इस योजना में छात्रवृत्ति का लाभ एक अभ्यर्थी को एक बार ही दिया जावेगा। एक से अधिक बार लाभ लेने हेतु किये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (vi) **अभ्यर्थी के सेवारत होने की स्थिति में राज्य एवं भारत** सरकार तथा उनके उपक्रम एवं वित्तीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत व्यक्ति इस योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति इस स्कीम में आवेदन के लिए पात्र होंगे परन्तु छात्रवृत्ति हेतु अन्तरिम चयन पत्र (Provisional Selection Letter) की तिथि से 02 माह की अवधि में कार्यरत नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसी स्थिति में अन्तिम चयन पत्र (Final Selection Letter) जारी किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी का कोर्स अन्तरिम चयन (Provisional Selection) से पहले प्रारम्भ हो चुका है, तब कोर्स प्रारम्भ होने से पूर्व का कार्यरत नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त की पूर्ति निर्धारित समय से पूरी नहीं करने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि चयनित अभ्यर्थी अन्तिम चयन (Final Selection) के पश्चात् कोर्स की अवधि के दौरान कहीं भी कार्यरत रहा हो तो उसका छात्रवृत्ति हेतु किया गया चयन निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्रदत्त समस्त वित्तीय लाभों की वसूली की जाएगी।

7. मेरिट निर्धारण एवं चयन समिति –

- (i) योजना के अंतर्गत मेरिट का निर्धारण प्रावधान 3-iv(A), 3-iv(B), 3-iv(C) एवं 7(ii) के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) विदेश के विश्वविद्यालयों में चयन के लिए मूल्यांकन हेतु वरीयता का क्रम सर्वप्रथम E1 श्रेणी एवं सीटें रिक्त रहने की स्थिति में E2 श्रेणी तथा E2 श्रेणी के पश्चात् E3 श्रेणी रहेगा। देश के उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चयन के लिए वरीयता का क्रम सर्वप्रथम E1 श्रेणी एवं सीटें रिक्त रहने की

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

स्थिति में E2 श्रेणी रहेगा। मेरिट का निर्धारण निर्धारित विश्वविद्यालयों की Times Higher Education World University Ranking (सामान्य) एवं NIRF Overall Rankings के आधार पर किया जायेगा। मेरिट समान होने की स्थिति में Postdoc, Ph.D, PG एवं UG कोर्स के क्रम में वरीयता दी जायेगी। इसके पश्चात भी मेरिट समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेरिट निर्धारण में वरीयता दी जाएगी।

- (iii) अभ्यर्थियों के ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन का कार्य Scrutiny Committee द्वारा किया जाएगा। Scrutiny Committee का निर्धारण आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन, निम्नांकित चयन समिति द्वारा किया जाएगा :-

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2	आयुक्त कॉलेज शिक्षा	सदस्य
3	अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा	सदस्य
4	वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य
5	विषय विशेषज्ञ (Engineering), RTU Kota/MNIT के प्रोफेसर	सदस्य
6	संयुक्त निदेशक	सदस्य सचिव

- (v) चयन समिति/Scrutiny समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अन्य किसी भी विषय विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकेगी।
- (vi) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् अंतरिम चयन सूची जारी की जायेगी।
- (vii) **मूल दस्तावेजों का सत्यापन**— आवश्यकता होने पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा सकेगा।
- (viii) विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति हेतु अन्तिम चयन पत्र (Final Selection Letter) जारी किये जाने की दिनांक से 01 वर्ष तक चयनित कोर्स को स्थगित (Defer) किये जाने की अनुमति केवल एक बार ही प्रदान की जा सकेगी। अभ्यर्थी को कोर्स परिवर्तन/विश्वविद्यालय अपग्रेड किये जाने की अनुमति अन्तरिम चयन पत्र (Provisional Selection Letter) जारी किये जाने के 02 माह के भीतर आवेदन करने पर ही प्रदान की जायेगी। परन्तु इससे अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय/संस्थान की THE Rank/NIRF Rank में निम्नीकरण (Degradation) मान्य नहीं होगा। यह सुविधा केवल एक बार ही प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा कोर्स परिवर्तन/विश्वविद्यालय अपग्रेड करने की स्थिति में जिस नवीन विश्वविद्यालय/कोर्स परिवर्तन के लिये आवेदन किया जा रहा है उसी नवीन विश्वविद्यालय/कोर्स परिवर्तन का ही Unconditional Offer Letter प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय अपग्रेड/कोर्स परिवर्तन/स्थगित (डेफर) किये जाने पर पूर्व में अनुमोदित कोर्स अवधि (Approved Course Duration) ही मान्य होगी।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी change requests के अन्तर्गत Course Defer/University Upgrade/Course Change में से किसी एक के लिए मात्र एक ही बार पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।

- (ix) विभिन्न चरणों में किये गये चयन का आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। प्रत्येक चरण में चयन का आधार उस समय उपलब्ध आवेदन ही रहेंगे।
जैसे कि किसी भी आय श्रेणी के विद्यार्थी का चयन Higher THE रैंक (30) होते हुए भी अगले चरणों में नहीं हो पाता है (क्योंकि उसने पूर्व के चरणों में आवेदन नहीं किया है) जबकि पूर्व चरणों में उससे Lower THE रैंक (50) वाले विद्यार्थी का चयन हो जाता है तो Higher THE रैंक वाले विद्यार्थी का कोई दावा नहीं होगा।

8. परिवार की परिभाषा एवं आय का निर्धारण

- (i) स्कीम में आय निर्धारण हेतु परिवार को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाएगा—

अवस्था/स्थिति	गणना योग्य आय
माता-पिता दोनों के जीवित होने की स्थिति	माता, पिता एवं अभ्यर्थी
माता-पिता दोनों में से किसी एक के जीवित होने की स्थिति	जीवित माता/पिता एवं अभ्यर्थी की आय
माता-पिता दोनों के जीवित नहीं होने की स्थिति	केवल अभ्यर्थी की आय
माता-पिता का तलाक होने की स्थिति	अभ्यर्थी जिसके साथ रह रहा हो, उस माता/पिता की एवं अभ्यर्थी की आय
अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति	पति-पत्नी की आय

उपरोक्त वर्णित सभी स्थितियों में हिन्दू अविभाजित परिवार की आय तथा किसी कम्पनी में निदेशक/अधिकारी से वेतन के रूप में प्राप्त सकल आय, कंपनी/फर्म की आय/लाभ सम्मिलित होंगे। पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/प्रोपरायटरशिप आदि से होने वाली आय भी जोड़ी जाएगी।

आवेदक की सकल पारिवारिक आय संबंधी शंका/शिकायत होने पर विभाग की समिति द्वारा सम्पादित जांच ही मान्य होगी। अभ्यर्थी द्वारा AIS (Annual Information Statement), TIS (Taxpayer Information Summary) इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/प्रोपरायटरशिप सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तलाक की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा तलाक की डिक्री व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परिवार की सकल आय की गणना दिशा-निर्देश में दी गई पारिवारिक आय के अनुसार की जायेगी।

- (ii) इस योजना के अन्तर्गत जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया जा रहा है, आवेदक एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से कुल सकल आय (बिना किसी छूट/कटौती) का आकलन किया जायेगा। उदाहरणार्थ वर्ष 2025-26 के आवेदकों के लिए 03 वित्तीय वर्षों (FY 2021-22, 2022-23, 2023-24) (AY 2022-23,

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

2023–24, 2024–25) की विस्तृत आयकर रिटर्न (ITR) की प्रतियां प्रस्तुत की जानी होगी। श्रेणी (E1, E2, E3) का निर्धारण 03 वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर (8.00 लाख रुपये से कम E1 श्रेणी, 08.00 लाख रुपये से 25.00 लाख रुपये तक होने पर E2 श्रेणी एवं 25.00 लाख रुपये से अधिक होने पर E3 श्रेणी) किया जायेगा। E3 श्रेणी के लिए ITR की आवश्यकता नहीं होगी। यदि परिवार की आय 3.00 लाख रुपये से अधिक है तो ITR अनिवार्य रूप से देनी होगी। परिवार के उक्त सदस्यों द्वारा ITR नहीं भरे जाने की स्थिति में 100 रूपए के Non Judicial Stamp पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनिवार्य रूप से प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने परिवार के सभी सदस्यों का 03 वित्तीय वर्षों का AIS तथा TIS प्रस्तुत करना होगा।

- (iii) अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध ITR की संख्या के आधार पर औसत सकल पारिवारिक आय की गणना की जायेगी।
उदाहरणार्थ:— 1. यदि अभ्यर्थी द्वारा परिवार के किसी भी सदस्य की एक वर्ष की ITR उपलब्ध करवाई जाती है तो उस सदस्य की औसत आय ज्ञात करने के लिए एक से भाग दिया जाएगा। 2. यदि अभ्यर्थी द्वारा परिवार के किसी भी सदस्य की दो वर्ष की ITR उपलब्ध करवाई जाती है तो उस सदस्य की औसत आय ज्ञात करने के लिए दो से भाग दिया जाएगा।
- (iv) विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को ये निर्देश प्रदान किये जायेंगे कि इस स्कीम के तहत उनके जिलों में आवेदकों को जारी किये जाने वाले आय के घोषणा पत्र (अनुलग्नक—C (1) के अनुसार) का प्रमाणीकरण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इस सन्दर्भ में संतुष्ट होने के उपरांत 07 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से किया जावे।
- (v) अभ्यर्थी को सभी स्रोतों से अर्जित आय उक्त वर्णित 03 वित्तीय वर्षों के औसत सकल पारिवारिक आय का निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (अनुलग्नक—C (1) के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। इस घोषणा पत्र को साक्ष्य के रूप में दो राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रमाणितकर्ता के बतौर आवश्यक रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षरित कराना होगा।
राजपत्रित अधिकारी एवं प्रमाणितकर्ता भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने आवश्यक है।
- (vi) सेवानिवृत्ति परिलाभ/उपहार (Gift) परिसम्पत्तियों के बेचान इत्यादि की आय श्रेणी का निर्धारण करने के लिए उक्त प्रकार की आय निर्धारण में शामिल नहीं किया जायेगा।
- (vii) आय में विदेश से अर्जित होने वाली आय भी सम्मिलित की जायेगी।
- (viii) आवेदन के समय श्रेणी निर्धारण करने के उपरान्त उसकी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- (ix) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय की जाँच किसी भी प्रकार से (by any means) करने के लिए सदैव स्वतंत्र रहेगा। यदि किसी आवेदक द्वारा कूट रचित/छद्म दस्तावेज/शपथ-पत्र पेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपराधिक कृत्य मानते हुए सिविल एवं न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। आवेदक को 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

प्रस्तुत करना होगा कि तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में या गलत सूचना देने की स्थिति में मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

9. छात्रवृत्ति अवार्ड हेतु एक परिवार के अधिकतम लाभार्थियों की संख्या

- (i) सामान्यतः एक परिवार से एक ही संतान को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी परन्तु निम्नलिखित स्थितियों में E1 व E2 श्रेणी के परिवार में एक ही परिवार से 02 संतान को भी छात्रवृत्ति देय होगी—
- अ) परिवार में अगर पहली छात्रवृत्ति पुत्री को प्रदान की जा चुकी होगी तो ऐसी स्थिति में दूसरी आवेदक संतान अगर पुत्री होगी तो दूसरी पुत्री को भी छात्रवृत्ति देय होगी।
- ब) परिवार में अगर पहली छात्रवृत्ति पुत्र को प्रदान की जा चुकी होगी तो ऐसे में दूसरी आवेदक संतान अगर पुत्री होगी तो पुत्री को भी छात्रवृत्ति देय होगी।
- स) किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति दो से अधिक संतान को देय नहीं होगी।
- (ii) E3 श्रेणी के परिवार से किसी भी स्थिति में एक ही सदस्य को यह छात्रवृत्ति देय होगी।

10. छात्रवृत्ति संबंधी वित्तीय प्रावधान

- (i) वर्ष 2025–26 में एवं आगामी अवधि में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु निम्नांकित प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी –

श्रेणी	ट्यूशन फीस कोर्स अवधि के दौरान (प्रतिवर्ष अधिकतम)	लिविंग एक्सपेंसेज कोर्स अवधि के दौरान
E1	विश्वविद्यालय द्वारा जारी invoice के आधार पर ट्यूशन फीस का 100% अथवा अधिकतम 50.00 लाख रुपये (जो भी कम हो)	<p>विदेश में अध्ययन हेतु लिविंग एक्सपेंसेज पोर्टल पर आवेदन तिथि के पश्चात् अध्ययन शुरू करने वाले विद्यार्थी को योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में—</p> <ul style="list-style-type: none">एकबारगी खर्चों हेतु 3.00 लाख रुपये अग्रिम भुगतान, केवल प्रथम वर्ष में ही देय होगा। <p>(एकबारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान— वीजा शुल्क, विदेश जाने का इकोनॉमी क्लास का विमान किराया, लेपटॉप आदि)</p> <ul style="list-style-type: none">प्रत्येक माह 1,00,000/—रुपये किन्तु अग्रिम भुगतान लिए जाने की स्थिति में प्रथम वर्ष के लिए, लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह में 75,000/— रुपये देय होंगे। <p>योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के अन्य वर्षों में.</p> <ul style="list-style-type: none">लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह 1,00,000/—रुपये

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

		पोर्टल पर आवेदन तिथि से पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थी को— <ul style="list-style-type: none">योजनान्तर्गत आगामी कोर्स अवधि के दौरान लिविंग एक्सपेंसेज हेतु प्रत्येक माह 1,00,000 / रूपये देश में अध्ययन हेतु लिविंग एक्सपेंसेस— <ul style="list-style-type: none">25000 /— प्रति माह (3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष)
E2	विश्वविद्यालय द्वारा जारी invoice के आधार पर ट्यूशन फीस का 85% अथवा अधिकतम 42.50 लाख रुपये (जो भी कम हो)	योजनान्तर्गत कोर्स अवधि के दौरान लिविंग एक्सपेंसेस हेतु— विदेश में अध्ययनरत अभ्यर्थी हेतु रुपये 50000 /— प्रति माह देश में अध्ययनरत अभ्यर्थी हेतु रुपये 15000 /— प्रति माह
E3	विश्वविद्यालय द्वारा जारी invoice के आधार पर ट्यूशन फीस का 70% अथवा अधिकतम 35.00 लाख रुपये (जो भी कम हो)	कोई भुगतान नहीं

नोट—

- आवेदन तिथि से बाद की कोर्स अवधि के लिए, यदि आवेदन तिथि से पूर्व ट्यूशन फीस का आंशिक या पूर्ण भुगतान अभ्यर्थी द्वारा किया जा चुका है तथा **Subsequent Invoice** में उल्लेखित है तो उसका पुनर्भरण भुगतान किया जा सकेगा।
- आवेदन तिथि से पूर्व के सत्रों का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- विदेश के विश्वविद्यालयों से प्राप्त ट्यूशन फीस की इनवाइस में लिविंग एक्सपेंसेज या अन्य किसी खर्च को शामिल पाया जायेगा तो ट्यूशन फीस में से इन अन्य खर्चों को घटाकर ही ट्यूशन फीस का भुगतान किया जायेगा।
- यदि देश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा जारी फीस रसीद में ट्यूशन फीस का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जानकारी प्राप्त कर उस राशिका ही भुगतान किया जायेगा जो ट्यूशन फीस से संबंधित है। E2 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ट्यूशन फीस की राशि का 85 प्रतिशत ही भुगतान किया जायेगा।

अभ्यर्थी को देय विभिन्न प्रकार के भुगतान

योजना के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी को ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेज, एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान एवं बेंच फीस का भुगतान किया जायेगा। इन खर्चों के अलावा अभ्यर्थी को अन्य किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

- (ii) ट्यूशन फीस** — अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय द्वारा योजनान्तर्गत अनुमत कोर्स हेतु ली जाने वाली ट्यूशन फीस विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रावधान 10(i) के अनुसार तथा **यदि देश के**

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा जारी फीस रसीद में ट्यूशन फीस का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जानकारी प्राप्त कर उस राशि का ही भुगतान किया जायेगा जो ट्यूशन फीस से संबंधित है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अपने दिशा-निर्देश के अनुसार ली जाने वाली ट्यूशन फीस की राशि के अनुसार ही ट्यूशन फीस की राशि को (त्रैमासिक/छमाही/सेमेस्टर/वार्षिक) आवंटित किया जायेगा।

(iii) **लिविंग एक्सपेंसेज** – योजनान्तर्गत सभी खर्चों जैसे वार्षिक रखरखाव भत्ता, वार्षिक आकस्मिक व उपकरण भत्ता, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, accommodation, GST एवं अन्य खर्चों को “लिविंग एक्सपेंसेज” की श्रेणी में माना जायेगा।

प्रावधान 10(i) के अनुसार लिविंग एक्सपेंसेज के लिए अभ्यर्थी को प्रतिमाह एक मुश्त राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

विदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में इस हेतु E1 एवं E2 श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम क्रमशः 12.00 लाख एवं 6.00 लाख वार्षिक ही देय होंगे। देश के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में इस हेतु E1 एवं E2 श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम क्रमशः 3.00 लाख रुपये एवं 1.80 लाख रुपये वार्षिक ही देय होंगे।

Accommodation एवं Health Insurance का भुगतान विश्वविद्यालय/संस्थान को पृथक् रूप से नहीं किया जाएगा।

(iv) **एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान** – वीजा शुल्क, विदेश जाने का इकोनॉमी क्लास का विमान किराया, लेफ्टॉप आदि सभी खर्चों को “एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान” की श्रेणी में माना जायेगा।

यह अग्रिम भुगतान की सुविधा केवल E1 श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोर्स प्रारम्भ करने के उद्देश्य से विदेश जाने से पूर्व सम्पूर्ण कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में केवल एक बार 03 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान VISA की प्रति एवं Air Ticket उपलब्ध कराने पर किया जायेगा जो कि अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष में दिए जाने वाले 1 लाख रुपये प्रति माह में समायोजित किए जाएंगे। आगामी वर्षों (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष आदि) में यह अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। यह भुगतान ऐसे अभ्यर्थियों को ही देय होगा जिनका कोर्स आवेदन किए जाने की तिथि के पश्चात प्रारंभ होगा।

(v) **बेंच फीस**– योजनान्तर्गत पीएच.डी. एवं पोस्ट डॉक्टरल कर रहे विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त बेंच फीस भी प्रदान की जायेगी। परंतु ट्यूशन फीस एवं बेंच फीस की कुल अधिकतम राशि बिंदु संख्या 10(i) की सारणी में वर्णित राशि अनुसार ही देय होगी।

(vi) **लिविंग एक्सपेंसेज एवं एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान** के रूप में विद्यार्थी को देय राशि का वास्तविक खर्चों से कोई सरोकार नहीं होगा तथा इस हेतु देय राशि, योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी को प्रदान की जायेगी। इस राशि के अलावा कोई अन्य राशि विद्यार्थी को लिविंग एक्सपेंसेज एवं एक बारगी खर्चों हेतु प्रदान नहीं की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

- (vii) विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक भ्रमण/खेलकूद गतिविधियों/मनोरंजन गतिविधियों/पेपर पठन/ कान्फ्रेन्स आदि में शामिल होने पर समस्त वित्तीय खर्चों की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थियों की होगी। इस हेतु इस छात्रवृत्ति में अलग से कोई राशि प्रदान नहीं की जायेगी।

विभिन्न प्रकार के क्लेम (claim) के भुगतान हेतु देय दस्तावेज

- (viii) **ट्यूशन फीस**— अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय/संस्थान को ट्यूशन फीस का भुगतान वार्षिक/सेमेस्टर/टर्म के अनुसार विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस इनवाइस के आधार पर किया जायेगा।
एमबीबीएस हेतु 4.5 वर्ष अवधि की फीस ही अनुमत होगी।

अभ्यर्थी द्वारा फीस क्लेम करते समय आवश्यक दस्तावेज **COE** (Confirmation of Enrolment)/**CAS** (Confirmation of Acceptance of Studies), **Last Tuition Fee Receipt, Travel History, Geo-Tagged Passport अपलोड करने पर ही भुगतान किया जायेगा।**

यदि अभ्यर्थी द्वारा ट्यूशन फीस का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जा चुका है तो पुनर्भरण किया जायेगा। लाभार्थी अभ्यर्थियों की सूची मय अन्तिम चयन पत्र एवं पासपोर्ट, संबंधित दूतावासों से भी साझा की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर जिस देश के विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत है वहां के भारतीय दूतावासों एवं राजस्थान फाउंडेशन से भी ईमेल/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि से सम्पर्क किया जा सकेगा।

- (ix) **लिविंग एक्सपेंसेज**— लिविंग एक्सपेंसेज के रूप में विद्यार्थी को देय वित्तीय सहायता संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त एनरोलमेंट संबंधी दस्तावेज COE/CAS/ID Card/Proof of admission, **Passport, Travel History** प्रस्तुत करनी होगी। **विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के बाद Geo-Tagged Passport एवं Progress report अनिवार्य रूप से देना होगा।** विद्यार्थी द्वारा व्यय की गई राशिके लिए किसी प्रकार का कोई इनवाइस/बिल प्रस्तुत नहीं करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर गलत **Geo-Tagging Passport upload किये जाने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।**
- (x) **एक बारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान**— कोर्स प्रारंभ करने के उद्देश्य से प्रथम बार विदेश जाने से पूर्व केवल E1 श्रेणी के विद्यार्थियों को VISA की प्रति एवं Air Ticket उपलब्ध कराने पर सम्पूर्ण कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में केवल एक बार 03 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा। विद्यार्थी द्वारा व्यय की गई राशि के लिए किसी प्रकार का कोई इनवाइस/बिल प्रस्तुत नहीं करना होगा।
- (xi) **बैंच फीस हेतु**— विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस इनवाइस के आधार पर बैंच फीस का भुगतान किया जायेगा।
- (xii) **संबंधित सूचनाओं का सत्यापन**— अभ्यर्थी की विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन (By Any Means) संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से किया जायेगा, विश्वविद्यालय से उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से संपर्क साधा जाएगा। परन्तु फिर भी

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के आधार पर सूचनाएँ सत्यापित कर ली जायेगी।

(xiii) दूसरी छात्रवृत्ति/स्पोन्सरशिप/अवार्ड/ग्रांट प्राप्त होने पर— ऐसे विद्यार्थी जिन्हें राजकीय/निजी संस्था/ट्रस्ट/कंपनी/विदेशी विश्वविद्यालय/विदेशी एजेंसी इत्यादि किसी भी स्रोत से कोई भी दूसरी छात्रवृत्ति/फैलोशिप/स्पोन्सरशिप/अवार्ड/ग्रांट या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है तो उन्हें इस योजना में प्रदान की जाने वाली ट्यूशन फीस में से दूसरी छात्रवृत्ति/फैलोशिप/स्पोन्सरशिप/अवार्ड/ग्रांट या कोई अन्य वित्तीय सहायता के अन्तर्गत मिल रही कुल वित्तीय राशि को घटाकर ही इस छात्रवृत्ति में वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा।

(xiv) घोषणा पत्र (Self-Declaration for not availing any other scholarship) — विद्यार्थी को कोर्स की अवधि में प्रति 06 माह पर इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा दूसरी छात्रवृत्ति/फैलोशिप/स्पोन्सरशिप/ग्रांट/अवार्ड से राशि समान कोर्स (यथा पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान, पीएच.डी., स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि) हेतु प्राप्त की जा रही है अथवा नहीं, यदि प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा।

अन्य वित्तीय प्रावधान

(xv) अनुसंधान/शिक्षण सहायक से आय— छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कोर्स अवधि के दौरान अनुसंधान/शिक्षण सहायक के रूप में वैधानिक तरीके से आय अर्जित करने की अनुमति होगी। सभी आय श्रेणी के पीजी, पीएच.डी एवं पोस्ट डॉक्टरल अभ्यर्थियों को यदि विश्वविद्यालय से किसी भी रूप में अनुसंधान/शिक्षण सहायक के रूप में 12 लाख रुपये वार्षिक से अधिक राशि प्राप्त होने की स्थिति में 12 लाख रुपये वार्षिक से अधिक प्राप्त राशि को अभ्यर्थी को योजना में देय भुगतान में से कम किया जाएगा।

(xvi) संवितरण का माध्यम विद्यार्थी को उपर्युक्त वित्तीय सहायता के वितरण का माध्यम सम्बन्धित विश्वविद्यालय को सीधे ट्रान्सफर या विद्यार्थी को पुनर्भरण या इन दोनों ही माध्यमों के रूप में किया जावेगा तथा आवश्यक होने पर थर्ड पार्टी भुगतान यथा Flywire आदि से भी भुगतान किया जा सकेगा। थर्ड पार्टी भुगतान यथा Flywire से किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय/विद्यार्थी से यह राशि जमा होने की पुष्टि की जायेगी।

(xvii) ऑनलाइन मोड में अध्ययन— कोर्स की अवधि में जब भी अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड में अध्ययन करेगा तो उस अवधि के ट्यूशन फीस एवं लिविंग एक्सपेंसेस अभ्यर्थी को देय नहीं होंगे। परंतु यह बाध्यता ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज पर लागू नहीं होगी जिन्हें अभ्यर्थी की यूनिवर्सिटी द्वारा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन करने के लिए curriculum में शामिल किया गया है। यद्यपि आपातकाल की स्थिति में इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

केवल Full Time (Regular) कोर्स के लिए ही ट्यूशन फीस एवं लिविंग एक्सपेंसेस का भुगतान किया जाएगा। Approved Course Duration के अन्तर्गत Part Time या Half Time कोर्स होने पर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय/संस्थान से कोर्स से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं उसके उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

पार्ट पेमेंट:- अभ्यर्थी की ट्यूशन फीस के भुगतान करने के संबंध में आवश्यकता होने की स्थिति में प्राप्त फीस इनवाइस पर विचार कर स्वीकृत कोर्स अवधि तक पार्ट पेमेंट भी किया जा सकेगा।

- (xviii) वित्तीय वर्ष 2025-26 में, अभ्यर्थी को योजना का लाभ पोर्टल पर आवेदन की तिथि के बाद से ही दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को संस्थान/विश्वविद्यालय के ऑफर लेटर में चयनित कोर्स हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई है तो अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान/विश्वविद्यालय उक्त राशि घटाकर ही इनवाइस भिजवाए। योजना में चयन के पश्चात् चयनित कोर्स के लिए संस्थान/विश्वविद्यालय/अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति, ऑफर/स्वीकृत किये जाने की स्थिति में, उक्त राशि घटाकर ही ट्यूशन फीस का भुगतान किया जायेगा। विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति देने से इनकार किये जाने की स्थिति में उक्त फीस को जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। अभ्यर्थी द्वारा Course Change एवं University Upgradation किये जाने की स्थिति में नवीनतम ऑफर लेटर के आधार पर ट्यूशन फीस का भुगतान किया जावेगा। यदि नवीनतम ऑफर लेटर में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी को नवीनतम ऑफर लेटर के अनुसार ही ट्यूशन फीस प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि के बाद से शुरू होने वाले चयनित कोर्स एवं अवधि की आंशिक/पूर्ण ट्यूशन फीस का भुगतान आवेदन की तिथि से पूर्व कर दिया है तो उसका पुनर्भरण नियमानुसार उस स्थिति में किया जाएगा यदि संस्थान/विश्वविद्यालय से प्राप्त Subsequent Invoice में वह राशि सम्मिलित की गयी है तथा उक्त राशि ट्यूशन फीस का ही भाग होनी चाहिये।

11. भुगतान तिथि

निम्न तिथियों को आधार मानकर अभ्यर्थी को विभिन्न खर्चों हेतु कोर्स अवधि की समय सीमा के अन्तर्गत भुगतान किया जाएगा:-

चयनित अभ्यर्थी को देय भुगतान-

पोर्टल पर आवेदन किए जाने की तिथि के पश्चात् अध्ययन शुरू होने की स्थिति

उक्त अभ्यर्थियों को आय श्रेणी के अनुसार एकबारगी खर्चों हेतु अग्रिम भुगतान, कोर्स प्रारम्भ करने के उद्देश्य से प्रथम बार विदेश जाने से पूर्व आवेदन करने पर एवं लिविंग एक्सपेंसेज का भुगतान कोर्स प्रारम्भ करने के उद्देश्य से विदेश में पहुंचने की तिथि एवं कोर्स प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी बाद में हो से देय होगा। ट्यूशन फीस इत्यादि का भुगतान नियमानुसार आवेदन की तिथि के उपरान्त की स्वीकृत पाठ्यक्रम अवधि का, विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस इनवाइस के आधार पर देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्थानों हेतु ट्यूशन फीस एवं लिविंग एक्सपेंसेस का भुगतान कोर्स प्रारम्भ होने की तिथि एवं आवेदन की तिथि जो भी बाद में हो, से देय होगा। ट्यूशन फीस का भुगतान विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त फीस इनवाइस के आधार पर देय होगा।

अंतिम तीन महिनों के लिविंग एक्सपेंसेस का भुगतान— (कोर्स समाप्त होने के बाद) अभ्यर्थी द्वारा मूल मार्कशीट (Academic Transcript) की प्रति (सभी विषयों में पास), मूल डिग्री की प्रति, Geotagged पासपोर्ट एवं Travel history (Departure and Arrival) देने के पश्चात् ही किया जाएगा। अभ्यर्थी को विभाग द्वारा मेल पर भेजा गया Feedback Form भी आवश्यक रूप से भरना होगा।

E3 श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्त होने के बाद मूल मार्कशीट (Transcript) प्रति, मूल डिग्री की प्रति, Geotagged पासपोर्ट, Travel history (Departure and Arrival) तथा विभाग द्वारा मेल पर भेजा गया Feedback Form भी आवश्यक रूप से भरना होगा।

पोर्टल पर आवेदन किए जाने की तिथि से पहले अध्ययनरत होने की स्थिति:—

ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन के समय अध्ययनरत होंगे उन्हें आय श्रेणी के अनुसार आवेदन की तिथि से शेष रहे कोर्स हेतु ट्यूशन फीस, बेंच फीस एवं लिविंग एक्सपेंसेस का आनुपातिक भुगतान नियमानुसार देय होगा।

12. प्रगति की निगरानी

- (i) अभ्यर्थी को अपनी कोर्स अवधि के दौरान प्रत्येक बार विदेश से भारत/अन्यत्र में आने जाने की सूचना आवश्यक रूप से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर को क्लेम के साथ पोर्टल के माध्यम से देनी होगी।
इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को पोर्टल पर प्रतिमाह अपना संक्षेप में स्टेटस बताना होगा कि वह उस माह में कहां रहा। अभ्यर्थी को कोर्स के दौरान भारत या अन्य जगह जाने का लिविंग एक्सपेंसेस नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर फीस क्लेम करते समय रजिस्टर्ड व प्राप्त क्रेडिट्स की जानकारी देनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को ऑनलाइन व ऑफलाइन कोर्स किए जाने का स्टेटस भी बताना होगा।
- (ii) अभ्यर्थी को सम्बंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से वार्षिक/द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट विभिन्न मूल्यांकनों/Assessments की रिपोर्ट को पोर्टल पर साझा (Share) करना होगा। प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर या अगले सेमेस्टर/वर्ष में प्रमोट किए जाने पर ही अभ्यर्थी को वित्तीय सहायता आगामी कोर्स अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- (iii) अभ्यर्थी को कोर्स प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक 06 माह बाद योजना के प्रावधानानुसार प्राप्त हो रही अन्य छात्रवृत्ति राशि का Self-Declaration (for not availing any other scholarship) निर्धारित फॉर्मेट में क्लेम के साथ पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

13. छात्रवृत्ति के लिए अन्य अनिवार्य शर्तें

- (i) अंतरिम चयन (Provisional Selection) उपरान्त एवं अंतिम चयन (Final Selection) हेतु— चयनित उम्मीदवार एक नोटरी पब्लिक के समक्ष निर्धारित रुपये 500/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार एक Indemnity Bond (अनुलग्नक C-09) का निष्पादन, दो उत्तरदायी (Surety) के साथ विभाग को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक Surety बांड भारतीय रुपये में, जो विदेश/देश में अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी पर यात्रा व्यय, शिक्षण शुल्क, रखरखाव और आकस्मिक भत्ते, वजीफा, छात्रवृत्ति और अन्य विविध खर्चों के भुगतान के लिए भरा जायेगा। योजना के प्रावधानों के तहत राजस्थान सरकार द्वारा डिफॉल्टर घोषित होने की स्थिति में उपर्युक्त राशि संयुक्त रूप से या/और अलग-अलग उत्तरदायी द्वारा देय होगी। राजस्थान सरकार द्वारा तय की गई बॉन्ड की भाषा उम्मीदवार को स्वीकार्य होगी।
- (ii) उम्मीदवार को राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से राजस्थान सरकार के साथ एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पाठ्यक्रम पूरा करेगा, यदि आवेदक बिना उचित औचित्य के पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो प्राप्त छात्रवृत्ति की पूरी राशि राजस्थान सरकार द्वारा वसूल की जाएगी।
- (iii) कोर्स के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी की आकस्मिक मृत्यु होने पर छात्रवृत्ति के दौरान प्रदान की गई राशि को पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा।
- (iv) छात्रवृत्ति के दौरान विद्यार्थी को सम्बन्धित देश के सभी नियमों/कानूनों का पालन करना होगा। विद्यार्थी का ऐसा कोई कृत्य जो वहाँ के प्रचलित कानूनों के विपरीत/उल्लंघन का होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। इसके अन्तर्गत अपकृत्य/आपराधिक कृत्य व सिविल कानूनों की अवहेलना आदि सभी तरह के कृत्य शामिल होंगे। यदि विद्यार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य किये जाने पर किसी प्रकार की वित्तीय देयता उत्पन्न होती है तो उसके भुगतान का समस्त दायित्व विद्यार्थी का होगा।
- (v) सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा विद्यार्थी को किसी प्रकरण में दोषी पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा और इस स्थिति में राज्य सरकार छात्रवृत्ति को रोकने के अधिकारी होगी। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- (vi) विद्यार्थी को स्कीम के नियमों से बाध्य रहने का एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित बॉण्डों को निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- (viii) किसी भी जानकारी के सम्बन्ध में शपथ पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर ही लिया जायेगा।
- (ix) यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से भी भुगतान प्राप्त हुआ है एवं सहवन (By Mistake) से कुल निर्धारित भुगतान से अधिक भुगतान हो गया है तो अभ्यर्थी अधिक प्राप्त भुगतान को राजस्थान सरकार को अनिवार्यतः वापस करेगा।
- (x) यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद अधिक समय तक विदेश में रहता है तो उस अवधि के किसी भी व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

- (xi) विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान करने के दौरान सहवन (By Mistake) से रह गई त्रुटियों को राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार निष्पादित किया जा सकेगा।
- (xii) विदेश/देश के विश्वविद्यालय/संस्थान में पीएच.डी. अथवा पोस्ट-डॉक्टरल शोध कार्य हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी यदि स्वयं को ऐसी गम्भीर स्थिति में पाता/पाती है जहां उसका गाइड/मार्गदर्शक संबंधित संस्थान को छोड़कर चला गया है तथा तत्काल कोई प्रतिस्थापित नहीं है या विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा, जहां छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता पीएचडी/पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कर रहा था वहां आधारभूत सुविधाओं को स्थगित कर दिया गया हो, तो राजस्थान सरकार ऐसी आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होने के स्थिति में छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय/संस्थान को बदलने की अनुमति देने के लिए अधिकृत है। इस प्रकार का परिवर्तन छात्रवृत्ति अवधि के दौरान एक ही बार अनुमत है वह भी इस शर्त के अध्याधीन कि प्रारम्भिक विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट नवीन विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा स्थानान्तरण हेतु स्वीकृत किये जावें व अवार्ड की कुल अवधि ऐसे स्थानान्तरण/परिवर्तन पर भी अपरिवर्तित रहेगी।
- (xiii) चयनित अभ्यर्थी Student Exchange Program/Student Transfer Program में भाग ले सकेगा। इस प्रकार का परिवर्तन छात्रवृत्ति अवधि के दौरान अभ्यर्थी की यूनिवर्सिटी पॉलिसी के अनुसार अनुमत होगा वह भी इस शर्त के अध्याधीन कि प्रारम्भिक विश्वविद्यालय/संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट नवीन विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा स्थानान्तरण हेतु स्वीकृत किये जावें व अवार्ड की कुल अवधि ऐसे स्थानान्तरण/परिवर्तन पर भी अपरिवर्तित रहेगी।
- (xiv) आवेदकों को योजना में सम्बन्धित पाठ्यक्रमों/क्षेत्रों/कोर्सेज में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्वयं ही प्रवेश प्राप्त करना होगा। विश्वविद्यालयों/संस्थानों में GRE, GMAT, IELTS, TOFEL, SAT स्कोर की अनिवार्यता होने पर स्वयं के खर्चे से इन परीक्षाओं को पास करना होगा तथा आवेदकों को निर्दिष्ट पाठ्यक्रम/विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश पाने के लिए अपने प्रयास करने होंगे।
- (xv) उम्मीदवार को उस देश के लिए उपयुक्त वीजा प्राप्त करना होगा जहां योजना के तहत आगे अध्ययन करना चाहता है। राजस्थान सरकार वीजा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी। विशेष परिस्थितियों में E1 आय श्रेणी के Ph.D. एवं Post Doc के अभ्यर्थियों के लिए यदि वह 1-25 THE रैंक विश्वविद्यालय/संस्थान के लिए चयनित हैं तो उन्हें वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।
- (xvi) अभ्यर्थी से पोर्टल पर आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर, जनाधार नंबर एवं PAN नंबर की सूचना प्राप्त की जाएगी।
- (xvii) अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर आवेदन करते समय विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित (signed) ऑफर लेटर ही मान्य होगा। ऑफर लेटर में कोर्स Start Date एवं End Date तथा कोर्स की सम्पूर्ण जानकारी (major/minor) देनी होगी अथवा संबंधित भाष्य पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (xviii) प्रतिशत गणना – यदि अभ्यर्थी की मार्कशीट पर CGPA से प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं दिया गया है तो प्रतिशत स्टैंडर्ड फॉर्मूला (UGC/AICTE) से ज्ञात किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

(xix) अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर आवेदन/फीस क्लेम हेतु निर्धारित मापदंडों की पूर्ति केवल 02 बार में ही की जानी होगी एवं दस्तावेजों को दिये गये निश्चित स्थान पर ही अपलोड किया जाना होगा।

14. अभ्यर्थी से राज्य सरकार की अपेक्षा

- (i) समस्त छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यों में वैचारिक पहल करेंगे। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान राज्य से सम्बन्धों को मजबूत करने एवं नीति निर्माण में अपनी भूमिका के निर्वहन हेतु तत्पर व सक्रिय रहेंगे।
राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी को एक रिसोर्स टैलेंट के रूप में देखा जाना अपेक्षित है। इस हेतु अभ्यर्थी से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के दौरान अध्ययन अवकाश के समय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऐसे कार्य जैसे विभिन्न राज्य सरकारों की स्कीमों का तुलनात्मक अध्ययन एवं सुधार हेतु स्वयं की अभिशंषा, सम्बंधित विषयों पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि तैयार करना, इंजीनियरिंग कोर्सेज में अध्ययनरत छात्रों द्वारा तकनीकी सहयोग आदि जो कि राज्य हित में अभ्यर्थी को प्रदान किए जाएंगे को नियत अवधि में पूरा करना अपेक्षित है।
- (iii) अभ्यर्थी द्वारा की गई रिसर्च/प्रस्तुत किये गये पेपर/प्रोजेक्ट कार्य या अन्य किसी प्रकार की शैक्षणिक कार्य की रिपोर्ट को भी राज्य सरकार को विभाग के ईमेल पर प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन Interaction हेतु आमंत्रित किये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
- (v) छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपनी Alumni Association सोशल मीडिया आदि पर इस छात्रवृत्ति योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाईन मोड में दूसरे जरूरतमन्द अभ्यर्थियों की भी विदेश अध्ययन हेतु पूर्ण सहायता करेंगे।
- (vi) छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि कोर्स समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी प्रथम प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान में जॉब तलाश करेंगे एवं राज्य को अपनी अकादमिक दक्षता से लाभान्वित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के समक्ष “Young Intern” प्रोग्राम के लिए नियमानुसार आवेदन किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर प्राथमिकता से विचार किया जा सकेगा।
- (vii) छात्रवृत्ति की समय सीमा के दौरान या छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के उपरान्त, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में इस योजना का कोई सरोकार नहीं है।

15. भ्रामक/मिथ्या जानकारी देना

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व अथवा पश्चात् किसी भी प्रकार की मिथ्या/भ्रामक/झूठी सूचना/छुपाई गई सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना पाया जाता है व सिद्ध हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जावेगा। यदि उसके द्वारा छात्रवृत्ति राशि का लाभ उठाया गया है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उस पर व्यय की गई राशि की वसूली के

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

लिए कार्यवाही आरम्भ की जावेगी एवं उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आजीवन प्रतिबन्धित रहेंगे एवं सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

16. योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत अभ्यर्थी के दोषी पाये जाने के संबंध में प्रावधान

- (i) यदि कोई अभ्यर्थी देश/विदेश में अध्ययन के दौरान किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है या संबंधित शैक्षणिक विश्वविद्यालय/संस्थान प्रशासन द्वारा राजस्थान सरकार को उसके प्रतिकूल आचरण अथवा अध्ययन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होती है तथा राज्य सरकार के संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी किसी अन्य देश जाने के लिए, छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित गंतव्य स्थान को छोड़ देता है या फरार हो जाता है या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान या पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में शामिल हो जाता है और राजस्थान सरकार को सूचित किये बिना भारत लौट आता है तो उसे दोषी घोषित किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को उस पर खर्च की गई सम्पूर्ण राशि को 12% वार्षिक ब्याज दर से या राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली दर के साथ वापस करना होगा।
यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ब्याज सहित ऐसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके प्रतिभूति जिन्होंने बांड निष्पादित किया है, पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित जिले के जिला कलेक्टर के माध्यम से इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।
- (ii) यदि आवेदक सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता है और उचित औचित्य के बिना अध्ययन को बीच में छोड़ देता है, तो उसकी छात्रवृत्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और वह उसे प्रदान की गई पूरी छात्रवृत्ति राशि को, उपर्युक्त पैरा (i) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता किसी आपात स्थिति जैसे मेडिकल इमरजेंसी आदि के कारण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ है और यदि उम्मीदवार का गाइड/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय/संस्थान प्रमाणित करता है कि उम्मीदवार की अपनी प्रतिबद्धता/समर्पण/पढ़ाई के प्रति ध्यान में कमी नहीं पाई गई है तो राजस्थान सरकार को योजना के तहत चूककर्ता के दंड से उसे छूट देने का अधिकार होगा।
- (iv) आवेदक के किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होने या मेजबान देश के कानून के उल्लंघन में या उसके खिलाफ किसी भी पुलिस मामले की स्थिति में, उसकी छात्रवृत्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और वह उसे प्रदान की गई संपूर्ण छात्रवृत्ति राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी, जैसा कि ऊपर पैरा (i) में उल्लिखित है।

17. छात्रवृत्ति हेतु जागरूकता एवं लाभार्थियों को संबल

- (i) योजना के प्रचार-प्रसार हेतु योजना के विज्ञापन राज्य के प्रचलित अखबारों में प्रकाशित करवाये जायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

- (ii) इस योजना का प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो एवं टेलीविजन) के माध्यम से किया जायेगा।
- (iii) योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुँचाने हेतु सोशल मीडिया (ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर भी योजना का प्रचार किया जायेगा साथ ही योजना की पीपीटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एवं वाट्सएप के जरिये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाई जाएगी। राज्य सरकार के एसएसओ पोर्टल एवं ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर योजना का विज्ञापन दिया जायेगा। विभाग प्रदेश के विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों आदि को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की मुख्य विशेषताओं की जानकारी देगा एवं उनके नोटिस बोर्ड पर भी योजना का पोस्टर/पेम्पलेट लगवाया जाएगा।
- (iv) योजना की जानकारी छात्र-छात्राओं को विभिन्न वर्कशॉप्स के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही IELTS, TOEFL, GRE, GMAT जैसे विभिन्न प्रवेश परीक्षा केन्द्रों पर योजना के पोस्टर ब्रोशर लगवाये जायेंगे।
- (v) योजना के लाभार्थियों की Human Interest Stories एवं Feedback Videos को भी विभिन्न अखबारों एवं विभाग के Social Media Handle और Website के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुँचाया जायेगा।
- (vi) राज्य के IELTS, TOEFL, GRE, GMAT आदि के परीक्षा केन्द्रों से छात्र-छात्राओं की ई-मेल आईडी लेकर उन्हें योजना की जानकारी दी जायेगी।
- (vii) डीआईपीआर में इस योजना से संबंधित क्रिएटिव तैयार करवाकर उनका उपयोग योजना के प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकेगा।
- (viii) लाभार्थियों को राजस्थान फाउन्डेशन एवं प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर विदेश में सामाजिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करने हेतु प्रयास किये जाएंगे।

18. योजना में संशोधन

राज्य सरकार के निम्नांकित निर्णय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर अंतिम व बाध्यकारी होंगे—

- (i) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर किसी भी समय योजना में संशोधन (वित्तीय प्रावधानों सहित) होंगे।
- (ii) छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से संबंधित ऐसे मुद्दे जो अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकते हैं और जो इस लिखित योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

19. योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण

चयन प्रक्रिया से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने की समयावधि, जारी की गई अंतरिम चयन (Provisional Selection) सूची के 01 माह के भीतर स्वीकार्य होगी। 01 माह पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु 02 स्तरों पर निम्नानुसार प्राधिकारी मनोनीत होंगे:—

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

1. प्रथम स्तर— आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

2. द्वितीय स्तर— अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव—उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण एक माह के भीतर किया जावेगा। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव—उच्च एवं तकनीकी शिक्षा शिक्षा विभाग को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जावेगा। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

20. वाद का क्षेत्र (विधिक प्रकरण)

इस योजना से उत्पन्न होने वाले मामलों पर कोई भी वाद/मुकदमा जयपुर में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

21. दिशा—निर्देशों का विनिर्णय

इन दिशा—निर्देशों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

यह वित्त विभाग की आई डी संख्या 152501634 दिनांक 07.07.2025 एवं माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की आई डी संख्या F25002892 दिनांक 18.07.2025 तथा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

-----End-----

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

अनुलग्नक—(A) **Top 1-50 Times Higher Education (THE) World Ranked Universities on 01.04.2025**

अनुलग्नक—(B) **Top 1-50 NIRF University and 1-50 NIRF Colleges as on 01.04.2025**

अनुलग्नक—(C) **List of Documents Required**

- At the time of form filling
- For final selection

अनुलग्नक—(D) अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने एवं विदेश में होने पर उनके माता—पिता द्वारा भरे जाने वाले प्रारूप

- At the time of form filling
- For final selection

F7(4)/ CCE /SVS/2025/05977

20 August, 2025

Copy forwarded for information and necessary action:

1. Secretary to Hon'ble Governor, Rajasthan, Jaipur
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Government of Rajasthan, Jaipur
3. Special Assistant to Hon'ble Minister, Higher and Technical Education, Government of Rajasthan, Jaipur
4. P.S. to ACS, Finance, Government of Rajasthan, Jaipur
5. P.S. to Additional Chief Secretary, Higher and Technical Education, Government of Rajasthan, Jaipur
6. SPS to Commissioner, College Education, Jaipur.
7. Financial Advisor, College Education, Jaipur.
8. Joint Director, SVS, CCE, Jaipur
9. Website in-charge, CCE, Jaipur

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

अनुलग्नक— A

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2025

S. No.	Rank	University Name	Country
1	1	University of Oxford	United Kingdom
2	2	Massachusetts Institute of Technology	United States
3	3	Harvard University	United States
4	4	Princeton University	United States
5	5	University of Cambridge	United Kingdom
6	6	Stanford University	United States
7	7	California Institute of Technology	United States
8	8	University of California, Berkeley	United States
9	9	Imperial College London	United Kingdom
10	10	Yale University	United States
11	11	ETH Zurich	Switzerland
12	12	Tsinghua University	China
13	13	Peking University	China
14	14	The University of Chicago	United States
15	14	University of Pennsylvania	United States
16	16	Johns Hopkins University	United States
17	17	National University of Singapore	Singapore
18	18	Columbia University	United States
19	18	University of California, Los Angeles	United States
20	20	Cornell University	United States
21	21	University of Toronto	Canada
22	22	UCL	United Kingdom
23	22	University of Michigan-Ann Arbor	United States
24	24	Carnegie Mellon University	United States
25	25	University of Washington	United States
26	26	Technical University of Munich	Germany
27	27	Duke University	United States
28	28	The University of Tokyo	Japan
29	29	University of Edinburgh	United Kingdom
30	30	Nanyang Technological University, Singapore	Singapore
31	31	Northwestern University	United States
32	32	École Polytechnique Fédérale de Lausanne	Switzerland
33	33	New York University	United States
34	34	University of California, San Diego	United States

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

Commissionerate of College Education

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan (India)

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

Email id – svs.cce.2024@gmail.com

S. No.	Rank	University Name	Country
35	35	University of Hong Kong	Hong Kong
36	36	Fudan University	China
37	36	King's College London	United Kingdom
38	38	LMU Munich	Germany
39	39	University of Melbourne	Australia
40	40	Georgia Institute of Technology	United States
41	41	University of British Columbia	Canada
42	42	Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris	France
43	43	KU Leuven	Belgium
44	44	The Chinese University of Hong Kong	Hong Kong
45	45	McGill University	Canada
46	46	University of Illinois at Urbana-Champaign	United States
47	47	Universität Heidelberg	Germany
48	47	Zhejiang University	China
49	49	Karolinska Institute	Sweden
50	50	London School of Economics and Political Science	United Kingdom
51	50	University of Texas at Austin	United States

Source- <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking>

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

अनुलग्नक- B

National Institutional Ranking Framework (NIRF)
Ministry of Education, Government of India
Indian Rankings 2024: Overall

S. No.	Rank	University Name	City	State
1	1	Indian Institute of Technology Madras	Chennai	Tamil Nadu
2	2	Indian Institute of Science, Bengaluru	Bengaluru	Karnataka
3	3	Indian Institute of Technology Bombay	Mumbai	Maharashtra
4	4	Indian Institute of Technology Delhi	New Delhi	Delhi
5	5	Indian Institute of Technology Kanpur	Kanpur	Uttar Pradesh
6	6	Indian Institute of Technology Kharagpur	Kharagpur	West Bengal
7	7	All India Institute of Medical Sciences Delhi	New Delhi	Delhi
8	8	Indian Institute of Technology Roorkee	Roorkee	Uttarakhand
9	9	Indian Institute of Technology Guwahati	Guwahati	Assam
10	10	Jawaharlal Nehru University	New Delhi	Delhi
11	11	Banaras Hindu University	Varanasi	Uttar Pradesh
12	12	Indian Institute of Technology Hyderabad	Hyderabad	Telangana
13	13	Jamia Millia Islamia	New Delhi	Delhi
14	14	Manipal Academy of Higher Education, Manipal	Manipal	Karnataka
15	15	University of Delhi	Delhi	Delhi
16	16	Aligarh Muslim University	Aligarh	Uttar Pradesh
17	17	Jadavpur University	Kolkata	West Bengal
18	18	Amrita Vishwa Vidyapeetham	Coimbatore	Tamil Nadu
19	19	Vellore Institute of Technology	Vellore	Tamil Nadu
20	20	Anna University	Chennai	Tamil Nadu
21	21	S.R.M. Institute of Science and Technology	Chennai	Tamil Nadu
22	22	Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences	Chennai	Tamil Nadu
23	23	Birla Institute of Technology and Science, Pilani	Pilani	Rajasthan
24	24	Siksha 'O' Anusandhan	Bhubaneswar	Odisha
25	25	University of Hyderabad	Hyderabad	Telangana
26	26	Calcutta University	Kolkata	West Bengal

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

Commissionerate of College Education

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan (India)

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

Email id – svs.cce.2024@gmail.com

S. No.	Rank	University Name	City	State
27	27	Homi Bhabha National Institute	Mumbai	Maharashtra
28	28	Kalinga Institute of Industrial Technology	Bhubaneswar	Odisha
29	29	Indian Institute of Technology Gandhinagar	Gandhinagar	Gujarat
30	30	Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) Varanasi	Varanasi	Uttar Pradesh
31	31	National Institute of Technology Tiruchirappalli	Tiruchirappalli	Tamil Nadu
32	32	Chandigarh University	Mohali	Punjab
33	33	Indian Institute of Technology Indore	Indore	Madhya Pradesh
34	34	National Institute of Technology Rourkela	Rourkela	Odisha
35	35	Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad	Dhanbad	Jharkhand
36	36	JSS Academy of Higher Education and Research	Mysuru	Karnataka
37	37	Savitribai Phule Pune University	Pune	Maharashtra
38	38	Kerala University	Thiruvananthapuram	Kerala
39	39	Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research	Puducherry	Pondicherry
40	40	Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering)	Vaddeswaram	Andhra Pradesh
41	41	Andhra University	Visakhapatnam	Andhra Pradesh
42	42	Indian Institute of Science Education and Research Pune	Pune	Maharashtra
43	43	Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university)	Patiala	Punjab
44	44	Bharathiar University	Coimbatore	Tamil Nadu
45	45	Lovely Professional University	Phagwara	Punjab
46	46	National Institute of Technology Karnataka, Surathkal	Surathkal	Karnataka
47	47	Shanmugha Arts Science Technology and Research Academy	Thanjavur	Tamil Nadu
48	48	Indian Institute of Technology Ropar	Rupnagar	Punjab
49	49	Amity University	Gautam Budh Nagar	Uttar Pradesh
50	50	Kalasalingam Academy of Research and Education	Srivilliputhur	Tamil Nadu

Source- <https://www.nirfindia.org/Rankings/2024/OverallRanking.html>

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

National Institutional Ranking Framework (NIRF)
Ministry of Education, Government of India
NIRF COLLEGE Ranking – 2024

S. No.	Rank	Name of College	City	State
1	1	Hindu College	Delhi	Delhi
2	2	Miranda House	Delhi	Delhi
3	3	St. Stephens's College	Delhi	Delhi
4	5	Atma Ram Sanatan Dharm College	New Delhi	Delhi
5	6	St. Xavier's College	Kolkata	West Bengal
6	7	PSGR Krishnammal College for Women	Coimbatore	Tamil Nadu
7	9	Kirori Mal College	Delhi	Delhi
8	10	Lady Shri Ram College for Women	New Delhi	Delhi
9	11	PSG College of Arts and Science	Coimbatore	Tamil Nadu
10	12	Hans Raj College	Delhi	Delhi
11	16	Deshbandhu College	New Delhi	Delhi
12	17	Ramakrishna Mission Vidyamandira	Howrah	West Bengal
13	18	Acharya Narendra Dev College	New Delhi	Delhi
14	19	Shri Ram College of Commerce	Delhi	Delhi
15	21	Sri Venkateswara College	Delhi	Delhi
16	22	University College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram	Kerala
17	23	Lady Irwin College	Delhi	Delhi
18	24	Ramakrishna Mission Residential College	Kolkata	West Bengal
19	26	Deen Dayal Upadhyaya College	New Delhi	Delhi
20	27	Bhaskaracharya College of Applied Sciences	New Delhi	Delhi
21	29	Maitreyi College	New Delhi	Delhi
22	31	Gargi College	Delhi	Delhi
23	34	Dyal Singh College	New Delhi	Delhi
24	37	Sri Krishna Arts and Science College	Coimbatore	Tamil Nadu
25	38	Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women	Delhi	Delhi
26	39	Sri Guru Gobind Singh College of Commerce	Delhi	Delhi
27	39	Jesus & Mary College	New Delhi	Delhi
28	43	Kamala Nehru College	Delhi	Delhi
29	45	Fergusson College (Autonomous)	Pune	Maharashtra
30	49	Shivaji College	Delhi	Delhi
31	49	Govt. College for Women, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram	Kerala

Source- <https://www.nirfindia.org/Rankings/2024/OverallRanking.html>

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 17:49:12 IST
Reason: Approved

List of Documents

- **At the time of form filling**

1. Jan Aadhar Number
2. Offer Letter from the applicable foreign/national institute/university with issue date & signature of authority of Institution.
3. Bona-fide/Domicile certificate (Scanned from original)
4. 10th mark-sheet (Scanned from Original)
5. Qualifying degree/mark-sheet/certificate of last exam passed (Full copy scanned from original)
6. Gross Family Income Affidavit (authenticated by Executive Magistrate/Tehsildar and witnessed by two gazetted officers)
7. ITRs, AIS and TIS of the following 3 years: -
 - A. ITR, AIS and TIS of F.Y. 2021-2022 (A.Y. 2022-2023)
 - B. ITR, AIS and TIS of F.Y. 2022-2023 (A.Y. 2023-2024)
 - C. ITR, AIS and TIS of F.Y. 2023-2024 (A.Y. 2024-2025)
8. Affidavit for Not-filing ITR (in case candidate or either of the parents do not file ITR)
9. Affidavit regarding Income from company and firm
10. Affidavit for not filling revised ITR
11. Self-declaration for scholarship/financial help etc. from other sources (as per the Annexure on Rs.100/- Non judicial stamp duly Notarized)
12. Aadhar number (Scanned from original)
13. Self-declaration for name discrepancy, if any.
14. Authorization Letter from candidate to submit/sign documents by parents in case candidate is not in India.

- **For final selection – (on prescribed formats duly notarized)**

- (1) Affidavit to abide by guidelines on Rs. 100/- non-judicial stamp paper duly notarized.
- (2) Indemnity bond needs to be submitted on Rs.500/- non-judicial stamp paper duly notarized only after the candidate is provisionally selected for the scholarship
- (3) Affidavit regarding no parental property.
- (4) Letter of Acceptance (Upload on portal by candidate after Final Selection).

**स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना हेतु
आय का घोषणा-पत्र**

आवेदन संबंधी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु का चयन करें)

01. प्रार्थी का नाम:

02. पिता का नाम:

03. निवास स्थान का पूर्ण पता:-

(क) वर्तमान पता:

(ख) स्थानीय पता:

नवीनतम फोटो
चिपकायें

04. गांव/शहर

तहसील

जिला

05. जन्म दिनांक

जन्म स्थान

उम्र

06. लिंग

पुरुष

महिला

वैवाहिक स्थिति

विवाहित

अविवाहित

07. धर्म

जाति

उपजाति

08. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है?

हाँ

नहीं

09. क्या आप आयकर दाता है?

हाँ

नहीं

10. मोबाईल नम्बर

11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन कार्ड नम्बर.....एवं आयकर विभाग के रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें

12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर.....एवं वाणिज्य कर विभाग के रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें

13. परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक सकल आय का विवरण-

क्र. सं.	परिवार के सदस्यों का नाम (अभ्यर्थी, माता एवं पिता)	उम्र	अभ्यर्थी से संबंध	आय की प्रकृति (व्यवसाय व अन्य)	सकल वार्षिक कुल आय			कुल सकल आय	वार्षिक औसत सकल आय
					FY 2021-22 (AY 2022-23)	FY 2022-23 (AY 2023-24)	FY 2023-24 (AY 2024-25)		
1									
2									
3									
कुल योग									

यदि आईटीआर नहीं भरते हैं तो अन्य स्रोत से आय (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फंड, विदेश में/से प्राप्त आय).....

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र संलग्न करें।

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक:-

स्थान:-

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नोट:- यदि अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम है या अभ्यर्थी देश में मौजूद नहीं है, केवल उस स्थिति में उपरोक्त प्रारूप अभ्यर्थी के माता-पिता द्वारा भरा जायेगा।

[illegible]

(c) यह कि मैं एवं मेरे परिवार (माता एवं पिता) की पूंजीगत लाभ से आय निम्नप्रकार है—

क्र.सं.	अभ्यर्थी एवं परिवार के सदस्यों का नाम (माता एवं पिता)	अभ्यर्थी से संबंध	पूंजीगत लाभ (अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लाभ)			कुल पूंजीगत लाभ	औसत पूंजीगत लाभ
			FY 2021–22 (AY 2022-23)	FY 2022–23 (AY 2023-24)	FY 2023–24 (AY 2024-25)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	योग						

(d) यह कि अभ्यर्थी एवं मेरे परिवार (माता एवं पिता) की अन्य स्रोत (यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, विदेश में/से प्राप्त आय) से आय निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	अभ्यर्थी एवं परिवार के सदस्यों का नाम (माता एवं पिता)	अभ्यर्थी से संबंध	सकल वार्षिक कुल आय			कुल सकल आय	औसत सकल आय
			FY 2021–22 (AY 2022-23)	FY 2022–23 (AY 2023-24)	FY 2023–24 (AY 2024-25)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	कुल समस्त वार्षिक आय				बिंदु (पैरा-2) a+b+c+d का योग		

03. यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की कुल/समस्त वार्षिक आय उपरोक्तानुसार है।

04. यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शाई है तथा ना ही इस बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

05. यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नोट:— यदि अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम है या अभ्यर्थी देश में मौजूद नहीं है, केवल उस स्थिति में उपरोक्त प्रारूप अभ्यर्थी के माता-पिता द्वारा भरा जायेगा।

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 5 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

(नाम व हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

अभ्यर्थी से संबंध —

हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.

2.

(नाम, पता, स्थान व दिनांक)

(नोटरी द्वारा सत्यापन)

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम.....पिता का नाम.....जाति.....उम्र.....वर्ष,
निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथ पूर्वक
उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान.....
द्वारा की गई है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार)
का नाम व पद मय सील

उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र)

1. गवाह—

मैं पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी
.....विभाग का नाम पद.....पर
कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीया..... पुत्र/पुत्री श्री
.....निवासी को भली प्रकार
जानता हूँ इनकी (वित्तीय वर्ष 2021-22 मूल्यांकन वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 मूल्यांकन वर्ष 2023-24 व वित्तीय वर्ष 2023-24
मूल्यांकन वर्ष 2024-25) कुल आय..... रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह मय सील

नाम

पद.....

दिनांक

2. गवाह—

मैं पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी
.....विभाग का नाम पद.....पर
कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीया..... पुत्र/पुत्री श्री
.....निवासी को भली प्रकार
जानता हूँ इनकी (वित्तीय वर्ष 2021-22 मूल्यांकन वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 मूल्यांकन वर्ष 2023-24 व वित्तीय वर्ष 2023-24 मूल्यांकन
वर्ष 2024-25) कुल आय..... रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह मय सील

नाम

पद.....

दिनांक

शपथ-पत्र

(For Not Filling ITR)

(Executed by Candidate on Rs.100/- Non-judicial Stamp duly notarized)

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....जाति.....निवासी.....
.....तहसील.....जिला.....राजस्थान का हूँ। मेरा आधार नं.
..... है।

मैंने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में **वित्तीय वर्ष 2025-26** (मूल्यांकन वर्ष 2026-27) के लिए आवेदन किया है जिसके लिए मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ।
2. यह कि मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने **वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24** (मूल्यांकन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) नहीं भरा है एवं इन तीनों वर्षों में सभी स्रोतों से मेरी आय शून्य है।
3. यह कि मैंने पिछले 05 वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) नहीं भरा है।
4. यह कि मैं अध्ययनरत विद्यार्थी हूँ एवं मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है।
5. यह कि मेरे नाम से कहीं भी कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

यह घोषणा पत्र मैं कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये सकल पारिवारिक आय प्रमाण पत्र के समर्थन में प्रस्तुत करता/करती हूँ।

यह कि उपरोक्त तथ्यों में कोई असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

उपरोक्त समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

आय संबंधित विशेष शपथ-पत्र

(Executed by Candidate on Rs.100/- Non-judicial Stamp duly notarized)

मैं (Application-ID) पुत्र/पुत्री श्री
 घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को
 स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना हेतु सभी स्त्रोतों से सकल पारिवारिक
 आय की दी गई सूचना सत्य है। निम्न कम्पनी में निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त/कम्पनी
 में हिस्सेदारी/फर्म के प्रोपराइटर है/नहीं है अथवा मैं/मेरे परिवार के सदस्यों की गत तीन वर्षों की
 (वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) आय निम्नानुसार है—

(In Rs.)

S. No.	Name	Name of the Company (Managing Director)			Name of the Company (Share in the company)			Name of the firm (proprietor)			Signature
		F.Y. 2021-22	F.Y. 2022-23	F.Y. 2023-24	F.Y. 2021-22	F.Y. 2022-23	F.Y. 2023-24	F.Y. 2021-22	F.Y. 2022-23	F.Y. 2023-24	
1.	Candidate										
2.	Father										
3.	Mother										

नोट- आय होने पर संबंधित कॉलम में आय भरें/आय नहीं होने पर NIL लिखें।

हस्ताक्षर अभिभावक —

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अभिभावक का नाम —

प्रार्थी का नाम

प्रार्थी से संबंध —

अभिभावक का PAN No. —

अभिभावक का आधार नं. —

AFFIDAVIT

(FOR NOT FILING REVISED ITR)

(Executed by Candidate on Rs.100/- Non-judicial Stamp duly notarized)

I..... *(Candidate Name)* Son/Daughter of*(Father's name)* am applying for Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence for Year 2025-26. My Aadhar no. is

Application-ID:

I declare that the all ITR's submitted are last and final and have not been revised after the submission of ITR related documents with the application.

This declaration is hereby executed and submitted to the Department of College Education, Government of Rajasthan in support of the application and the submitted ITRs.

(Signature of the candidate)

Name

Date

Place

AFFIDAVIT

(FOR NOT GETTING ANY OTHER SCHOLARSHIP/GRANT/AID)

(On Rs.100/- non-judicial stamp paper duly Notarized)

I.....Son/Daughter of(Father/Mother name) resident of
..... have applied for Swami Vivekananda Scholarship for Academic
Excellence scheme for Year 2025-26.

My Aadhar no. is

Application-ID:

I hereby declare that I am not availing any other scholarship/fellowship/grant/financial aid under any
other scheme of the state and central government or any other organization.

The information provided above is true in best of my knowledge and belief.

.....

(Signature of the candidate)

Date -

Place -

स्वघोषणा पत्र (सादा कागज पर)**Name Discrepancy Form**

मैं (नाम सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका के अनुसार) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....जाति.....
उम्र.....निवासी....., राजस्थान का
 रहने वाला/वाली हूँ जो कि घोषणा करता/करती हूँ कि:-

- यह कि मैं उपरोक्त वर्णित पते का/की स्थाई निवासी हूँ तथा मय परिवार निवास करता/करती हूँ। एसवीएस स्कॉलरशिप हेतु आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों में मेरे एवं मेरे परिवार के सदस्यों के नाम का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र. सं.	दस्तावेज	नाम का विवरण		
		स्वयं का नाम	पिता का नाम	माता का नाम
1.	मूल निवास प्रमाण पत्र			
2.	परिवार आय घोषणा-पत्र			
3.	आईटीआर			
4.	आधार पत्र			
5.	आवेदन पत्र (जन आधार)			
6.	क्वालीफाई डिग्री			
7.	10 th अंकतालिका			
8.	पासपोर्ट			
9.	अन्य दस्तावेज			
	विवाह उपरान्त नाम (.....)		

- उक्त दस्तावेजों में उपरोक्त आंशिक त्रुटियाँ लिपिकीय (Clerical mistakes) हैं।
- मैंने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं छिपाई है।
- इनके संबंध में समस्त जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नोट:- 1. यह स्वघोषणा पत्र उन्हीं प्रार्थियों को अपलोड करना है जिनके स्वयं/परिवार के सदस्यों के नाम/सरनेम में दस्तावेजों में विसंगतियाँ/त्रुटियाँ हैं।
 2. संबंधित दस्तावेज में जिस भाषा में नाम लिखा हो, इस फार्म में नाम उसी भाषा में भरा जावे।

Self-Declaration
(Authorization Letter from candidate)

I..... (Candidate Name) S/D/o Sh.
Studying at (University name) and currently, residing
in(Country name) hereby declare that I am unable to provide
affidavits, family income declaration, indemnity bond etc. documents signed
by me while applying for Swami Vivekananda Scholarship for Academic
Excellence Scheme guidelines on the portal. I authorize my parents to sign
and submit the above-mentioned documents. I further declare that if
required I will furnish the said documents as soon as I return to India.

Signature of the candidate:

Name:

Place:

Date:

Affidavit - Abide by Guidelines

(Executed by Candidate after Provisional Selection)

Iage.....years S/D/o..... do hereby solemnly declare and affirm as follows:

1. I have applied for scholarship under the Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence Scheme (hereinafter referred as SVS Scheme) run by the College Education Department, Government of Rajasthan.
2. My application ID for SVS scheme is SVSSAE/2025-26/.....
3. I have gone through all terms/conditions/guidelines of SVS scheme.
4. I accept that my selection is subject to terms and conditions of the SVS scheme and I will abide and comply with full intent and sincerity as expected from me under SVS Scheme guidelines as amended from time to time.
5. In case of extra/excess disbursement of funds, if any, such extra/excess amount shall be recovered from me accordingly.
6. There is no disciplinary or criminal case registered or pending against me in any state/country.
7. I will not indulge in any effort to create pressure, seek recommendation or involve myself in any unfair/irregular act to gain selection for this scholarship. If any such effort is made, my application for the scholarship can be cancelled.
8. In the event of not being selected for the scholarship, I will not indulge in any kind of inappropriate behaviour/indiscipline. If such act is undertaken, necessary action can be taken against me as per rules.
9. I shall comply with all the provisions and instructions of the consolidated guideline and also come up to the expectation of the government as per provision 14, and will actively participate in spreading awareness, support beneficiaries, follow and comply with the provisions and instructions of the consolidated guideline.
10. I affirm that all the information provided in this affidavit is true, accurate and complete to the best of my knowledge and belief.
11. If any information and documents submitted by me are found misleading / false/non-disclosure then action would be taken as per provision 15 of the guidelines and recovery of the entire amount with penalty would be initiated against me/my guardian.

Date:.....

Place:.....

Name and Signature of the Candidate

(Note- This affidavit needs to be given on 100 rupees non-judicial stamp paper duly notarized)

INDEMNITY BOND

(Executed by Candidate after Provisional Selection)

THIS DEED OF INDEMNITY executed on this the day of (year) by Shri/Smt Son/Daughter of Sh. (SVSSAE/2025-26/.....) and permanently residing at (hereinafter referred to as "Indemnifier") in favor of Government of Rajasthan (hereinafter referred to as the 'Indemnified'). WHEREAS, vide SVSSAE Guideline (G.O) Rajkaj Ref.Date....., Government have accorded administrative sanction to Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence Scheme (hereinafter referred to as the "SVS Scheme") for assisting academically well-performed students seeking admission in Times Higher Education (THE)/National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranked foreign/Indian Universities/Institutes at a maximum cost as payable in the prevalent and as amended time to time SVS guidelines.

AND WHEREAS, the Indemnifier herein has been selected for SVS Scheme (as amended time to time) awarded by the Indemnified. AND WHEREAS, the Indemnifier has been required to execute a bond in favor of the Indemnified, Indemnifying the Government of Rajasthan from any loss caused to the Government due to violation of any of the terms of assistance or any term of the SVS Scheme (as amended time to time) by the Indemnifier or due to his/her failure to complete the course.

NOW, THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS: -

1. I, hereby, declare that I am not employed anywhere at present and not taking any financial benefits from any source. I also declare that no other member of my family has applied for this scholarship.
2. The Indemnifier agrees to abide by all terms and conditions of the SVS Scheme (as amended time to time).
3. The Indemnifier agrees and undertakes to pay to the Indemnified the scholarship amount received by him/her or the University concerned with interest at the 12% (or as decided by the Government of Rajasthan from time to time) from the date of disbursement of Scholarship amount in case he/she violates any of the terms of assistance or any term of the SVS Scheme(as amended time to time) or fails to complete the course successfully to which the Scholarship is sanctioned without any proper justification.
4. The department of Higher education will give financial assistance to a maximum of the course duration as stipulated in the SVS Scheme (as amended time to time).

5. The Indemnifier and Sureties further agree that in case they violate any of the terms of SVS Scheme (as amended time to time), the entire amount of Scholarship received shall forthwith be paid by the Indemnifier within 180 days from the receipt of demand notice issued by the Indemnified. Such costs, including the interest rate (as decided by the Government of Rajasthan from time to time) and all costs including legal cost and all other incidental charges and expenses that shall occur in the said process, shall have to be borne by the Indemnifier.
6. The Indemnifier and Sureties further agree that in case they fail to remit the entire scholarship amount within 180 days of receipt of demand notice, the said amount shall be recovered with interest at the rate of 12% (or as decided by the Government of Rajasthan from time to time) per annum by the Government from the parental property (details)
..... (khasra/Patta Number) situated
in (village/town/tehsil)
(District)....., the value of the said property shall not be less than one and a half time of the total scholarship amount or from the two Sureties to this Deed as per discretion of the Indemnified.
- In case of no property owned by the candidate or his/her parents/guardians then the recovery shall be borne by the sureties.
7. The Indemnifier and Sureties also further agree that the Government of Rajasthan shall recover all sums found due to the Indemnified under this Deed jointly and severally from them and their properties, both movable and immovable under the provisions of the Rajasthan Public Demand Recovery Act 1952, as if such sums are arrears of land revenue or in such other manner, as the Indemnified may deem fit.
8. The liability of the Sureties under the Deed is co-extensive with that of the Indemnifier and shall not be affected by the Indemnified varying any of the terms and conditions herein contained. The stamp Duty of this Deed shall be borne and paid by the Indemnifier.

IN WITNESS of which, I have signed and executed this Bond of Indemnity on this the day of (year) at (place) in the presence of the Witnesses and Sureties named below.

INDEMNIFIER
NAME-

SURETIES

We, (1) Shri _____ son of _____
residing at _____ and
employed (in case working) as _____ in
_____ Department, Government of India/Rajasthan. And

(2) Shri _____ son of _____
residing at _____ and
employed (in case working) as _____ in
_____ Department, Government of India/Rajasthan.

Hereby stand as SURETIES to this Bond executed by Shri _____
_____ Son/Daughter of _____
residing at _____ in
favour of Government of Rajasthan. We undertake the liability of the bond amount to the
extent of the bond amount. If the Indemnifier of this Bond fails to discharge their obligations
under the Bond, We will pay the bond amount with interest at the rate of 12% per annum (or
as decided by the Government of Rajasthan). We further hereby bind ourselves and each of us,
and each of our heirs, executors and administrators jointly and severally to pay to the
Indemnified-on demand of the Scholarship amount received by (*candidate name*)
_____ the Indemnifier under this Bond.

1. Signature

Name and Designation (SURETY-1),

Address :

2. Signature

Name and Designation (SURETY-2)

Address :

WITNESSES

1. Signature

Name and Address

2. Signature

Name and Address

(Note- 1. This affidavit is to be executed on a 500 rupees non-judicial stamp paper duly notarized & signed on each page,
2. Self-Attested & counter signed copy of Aadhar of sureties & witnesses and self attested full copy of Parental Property
should be attached with Indemnity bond, if sureties are Govt. Employee then their Self Attested Govt-ID also be attached.)

शपथ—पत्र

(In case No Parental Property)

(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेटाईज्ड)

अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र/पुत्रीआयु.....वर्ष जाति.....निवासी.
.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. मैंने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन किया है तथा मेरी स्कॉलरशिप आई डी.....है।
2. यह कि मैं उक्त पते का/की स्थाई निवासी हूँ।
3. यह कि मेरे एवं परिवार के नाम कोई सम्पत्ति नहीं है और भारत देश के किसी भी जगह मेरे माता/पिता के नाम से किसी भी राज्य में चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।
4. यह है कि मैं यह शपथ पत्र मेरे व मेरे माता-पिता के नाम से कोई सम्पत्ति नहीं होने के संदर्भ में पेश कर रहा/रहीं हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र के समस्त तथ्य सही एवं सत्य है। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर सत्यापितकर्ता

Letter Of Acceptance

(To be uploaded on Portal by candidate after Final Selection)

I..... Son/Daughter of
Application ID hereby accept the letter of Selection
No.....dated..... (Rajkaj Ref. No.....) and
will abide by the terms and conditions and norms of the SVS Scheme as amended
time to time. I will furnish all the information and fulfill all requirements for
scholarship as per scheme.

In case of extra/excess disbursement of funds such extra/excess amount shall be
recovered from me accordingly. If any information furnished by the undersigned
is found to be false and misleading and undue/wrong payment is made, I shall be
liable for civil/criminal proceedings as per law.

Signature of the Candidate

Name of the Candidate:.....

Date:.....

Place:.....

Self-Declaration (On Plain Paper)

(To be uploaded by candidate in payment claims on Portal)

I (*Candidate Name*) age having Scholarship ID.....
residing at..... do hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. I am a beneficiary of Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence Scheme (SVS Scheme) offered by Govt. of Rajasthan to pursue <Course Name> from <University Name >.....
2. I have signed the Indemnity Bond and Affidavit to follow the guidelines and I accept that financial benefits under the scheme are subject to guidelines as amended from time to time.
3. In order to claim further applicable emoluments under the scheme in light of recently issued consolidated SVS guidelines 2025-26. I have gone through these and in order to comply with provisions-10 (xv, xvi, xviii), I hereby declare that I have been awarded and receiving the following scholarship/ sponsorship /fellowship/award/grant/ or any other financial help:

S. No.	Source of Grant	Amount	Currency	Duration (From Date – To Date)
1.	Govt. Organization			
2.	Private Organization			
3.	University			
4.	Research/Teaching Assistantship			
5.	Any other (Company/Trust/Agency/any other)			

4. I accept that the financial assistance as declared above will be deducted from further applicable payments as per consolidated guidelines/policy decisions.

Signature

5. I affirm that all the information provided in this declaration is true, accurate and complete to the best of my knowledge and belief and I will promptly inform the Government of Rajasthan if there are any changes in my scholarship status or if I receive any scholarship/fellowship/ award/ grant/ sponsorship or any other financial help from any source.
6. I understand that the Government of Rajasthan may verify the information provided in this declaration and undertake any necessary actions to authenticate the details.
7. My selection since inception was subjected to terms and conditions of the SVS scheme and I will abide and comply with full intent and sincerity as expected from me under SVS Scheme guidelines as amended time to time.
8. If any kind of information or documents submitted by me is found and proved misleading / false / non-disclosure then action would be taken as per **provision 15** of the guidelines and recovery of the entire amount with penalty would be initiated against me/my guardian.
9. I shall comply with all the provisions and instructions of the consolidated guidelines and also come up to the expectations of the government as per provision 14 and will actively participate in spreading awareness, support beneficiaries, follow and comply with the provisions and instructions of the consolidated guidelines.

Name & Signature of Candidate:

Date :

Place :

Name and Signature of Surety

Relation-

Address-

अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने एवं विदेश में होने पर उनके माता-पिता द्वारा भरे जाने वाले प्रारूप

(Annexure-D-1)

शपथ-पत्र

(For Not Filling ITR)

(आवेदक 18 वर्ष से कम या विदेश में होने पर अभिभावक द्वारा 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटलाईज्ड)

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....जाति.....निवासी.....
.....तहसील.....जिला.....राजस्थान का हूँ। मेरा
आधार नं. है।

मेरे पुत्र/पुत्री (SVSSAE/2025-26/.....) ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर
एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन किया है जिसके लिए मैं सशपथ बयान करता/करती
हूँ कि:-

6. यह कि मैं व मेरा पुत्र/पुत्री उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ।
7. यह कि मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) नहीं भरा है एवं इन तीनों वर्षों में सभी स्रोतों से उसकी आय शून्य है।
8. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री ने पिछले 05 वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) नहीं भरा है।
9. यह कि मेरा पुत्र/पुत्री अध्ययनरत विद्यार्थी है एवं उसके पास आय का कोई साधन नहीं है।
10. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री के नाम से कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

यह घोषणा पत्र मैं कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये सकल पारिवारिक
आय प्रमाण पत्र के समर्थन में प्रस्तुत करता/करती हूँ।

यह कि उपरोक्त तथ्यों में कोई असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

उपरोक्त समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

आय संबंधित विशेष शपथ-पत्र

(आवेदक 18 वर्ष से कम या विदेश में होने पर अभिभावक द्वारा 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेराईज्ड)

मैं(अभिभावक का नाम) पिता / माता(अभ्यर्थी का नाम)
 एवं (Application-ID) घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आयुक्तालय, कॉलेज
 शिक्षा, राजस्थान को स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशीप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना हेतु सभी स्रोतों
 से सकल पारिवारिक आय की दी गई सूचना सत्य है। मैं/मेरे परिवार के सदस्य गत पांच वर्षों
 (वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24) निम्न कंपनी में निदेशक/प्रबन्ध
 निदेशक के पद पर नियुक्त/कम्पनी में हिस्सेदारी/फर्म के प्रोपराइटर है/नहीं है।

(In Rs.)

S. No.	Name	Name of the Company (Managing Director)			Name of the Company (Share in the company)			Name of the firm (proprietor)			Signature
		F.Y. 2021-22	F.Y. 2022-23	F.Y. 2023-24	F.Y. 2021-22	F.Y. 2022-23	F.Y. 2023-24	F.Y. 2021-22	F.Y. 2022-23	F.Y. 2023-24	
1.	Candidate										
2.	Father										
3.	Mother										

नोट- आय होने पर संबंधित कॉलम में आय भरें/आय नहीं होने पर NIL भरें।

हस्ताक्षर अभिभावक —

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अभिभावक का नाम —

प्रार्थी का नाम

प्रार्थी से संबंध —

अभिभावक का PAN No. —

अभिभावक का आधार नं. —

AFFIDAVIT

FOR NOT FILING REVISED ITR

(On Rs.100/- non-judicial stamp duly notarized)

(Executed by Parents when candidate is minor or not in India)

I am (Parents Name) F/M of(Candidate name with SVS application ID: SVSSAE/2025-26/.....), My Son/Daughter is applying for Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence for year 2025-26. My Aadhar no. is and Candidate Aadhar no. is

I declare that the all ITR submitted are last and final and have not been revised after the submission of ITR related documents with the application.

This declaration is hereby executed and submitted to the Department of College Education, Government of Rajasthan in support of the application and the submitted ITRs.

(Signature of Parents)

Name

Date

Place

AFFIDAVIT

FOR NOT GETTING ANY OTHER SCHOLARSHIP/GRANT/AID

(On Rs.100/- non-judicial stamp paper duly Notarized)

(Executed by Parents when candidate is minor or not in India)

I am (Parents Name) F/M of(Candidate name with SVS application ID: SVSSAE/2025-26/.....), My Son/Daughter is applying for Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence for year 2025-26.

My Aadhar no. is

I hereby declare that my son/daughter is not availing any other scholarship/fellowship/grant/financial aid under any other scheme of the state and central government or any other organization.

The information provided above is true in best of my knowledge and belief.

.....

(Signature of parent with name)

Date -.....

Place -.....

Affidavit

(Executed by Parents after Provisional Selection when candidate is minor or not in India)

I.....age.....years S/D/o, on behalf of My Son/Daughter
..... do hereby solemnly declare and affirm as follows:

1. My son/daughter has applied for scholarship under the Swami Vivekananda Scholarship Scheme for Academic Excellence (earlier known as RGS) (hereinafter referred as SVS Scheme) run by the College Education Department, Government of Rajasthan.
2. My son/daughter's application ID for SVS scheme is **SVSSAE/2025-26/**.....
3. I have gone through all terms/conditions/guidelines of SVS scheme.
4. I accept that his/her selection is subject to terms and conditions of the SVS scheme and we will abide and comply with full intent and sincerity as expected from me under SVS Scheme guidelines as amended from time to time.
5. In case of extra/excess disbursement of funds, if any, such extra/excess amount shall be recovered from us accordingly.
6. There is no disciplinary or criminal case registered or pending against me and my son/daughter in any state/country.
7. I and my son/daughter will not indulge in any effort to create pressure, seek recommendation or involve myself in any unfair/irregular act to gain selection for this scholarship. If any such effort is made, his/her application for the scholarship can be cancelled.
8. In the event of not being selected for the scholarship, I and my son/daughter will not indulge in any kind of inappropriate behaviour/indiscipline. If such act is undertaken, necessary action can be taken against us as per rules.
9. My son/daughter shall comply with all the provisions and instructions of the consolidated guideline and also come up to the expectation of the government as per provision 14, and will actively participate in spreading awareness, support beneficiaries, follow and comply with the provisions and instructions of the consolidated guideline.
10. I affirm that all the information provided in this affidavit is true, accurate and complete to the best of my knowledge and belief.
11. If any information and documents submitted by me or my son/daughter are found misleading/false/non-disclosure then action would be taken as per provision 15 of the guidelines and recovery of the entire amount with penalty would be initiated against me/my son/daughter.

Date:

Place:

Name and Signature of the Guardian
On behalf of My Son/Daughter
(Name of Candidate).....

(Note-This affidavit needs to be on a 100 rupees non-judicial stamp paper duly notarized)

INDEMNITY BOND

(Executed by Parents after Provisional Selection when candidate is minor or not in India)

THIS DEED OF INDEMNITY executed on this the _____ day of _____ (year) by Shri/Smt (Father/Mother Name) _____ S/D/o _____, on behalf of my son/daughter (Candidate Name) _____ (SVSSAE/2025-26/_____) and permanently residing at _____ (here in after referred to as Indemnifier') in Favor of Government of Rajasthan (here in after referred to as the 'Indemnified'). WHEREAS, vide SVSSAE Guidelines G.O. (Raj Kaj Ref No..... Date), Government have accorded administrative sanction to Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence Scheme (earlier known as RGS) (hereinafter referred to as the "SVS Scheme") for assisting academically well-performed students seeking admission in Times Higher Education (THE)/National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranked foreign/Indian Universities/Institutes at a maximum cost as payable in the prevalent and as amended time to time SVS guidelines. AND WHEREAS, the Indemnifier's Son/Daughter _____ (name) herein has been selected for SVS Scheme (as amended time to time) awarded by the Indemnified. AND WHEREAS, the Indemnifier has been required to execute a bond in favor of the Indemnified, indemnify in the Government of Rajasthan from any loss caused to the Government due to violation of any of the terms of assistance or any term of the SVS Scheme (as amended time to time) by the Indemnifier or due to his/her failure to complete the course.

NOW, THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS:-

1. I declare that my son/daughter is not permanently employed (In government) anywhere at present and not taking any financial benefits from any source. I also declare that no other member of my family has availed this scholarship.
2. The Indemnifier agrees to abide by all terms and conditions of the SVS Scheme (as amended time to time).

3. The Indemnifier agrees and undertakes to pay to the Indemnified the scholarship amount received by his/her son/daughter or the University concerned with interest at the 12% (or as decided by the Government of Rajasthan from time to time) from the date of disbursement of Scholarship amount in case he/she violates any of the terms of assistance or any term of the SVS Scheme (as amended time to time) or fails to complete the course successfully to which the Scholarship is sanctioned without any proper justification.
4. The department of Higher education will give financial assistance to a maximum of the course duration as stipulated in the SVS Scheme (as amended time to time).
5. The Indemnifier and Sureties further agree that in case they violate any of the terms of SVS Scheme (as amended time to time), the entire amount of Scholarship received shall forthwith be paid by the Indemnifier within 180 days from the receipt of demand notice issued by the Indemnified. Such costs, including the interest rate (as decided by the Government of Rajasthan from time to time) and all costs including legal cost and all other incidental charges and expenses that shall occur in the said process, shall have to be borne by the Indemnifier.
6. The Indemnifier and Sureties further agree that in case they fail to remit the entire scholarship amount within 180 days of receipt of demand notice, the said amount shall be recovered with interest at the rate of 12% (or as decided by the Government of Rajasthan from time to time) per annum by the Government from the parental property
..... (Khasra/Patta Number situated
village/town/tehsil)
..... (District)....., the
value of the said property shall not be less than one and a half time of the total scholarship amount or from the two Sureties to this Deed as per discretion of the Indemnified.
 - In case of no property owned by the candidate or his/her parents/guardians then the recovery shall be borne by the sureties.

The Indemnifier and Sureties also further agree that the Government of Rajasthan shall recover all sums found due to the Indemnified under this Deed jointly and severally from them and their properties, both movable and immovable under the provisions of the Rajasthan Public Demand Recovery Act 1952, as if such sums are arrears of land revenue or in such other manner, as the Indemnified may deem fit.

7. The liability of the Sureties under the Deed is co-extensive with that of the Indemnifier and shall not be affected by the Indemnified varying any of the terms and conditions herein contained. The stamp Duty of this Deed shall be borne and paid by the Indemnifier.

IN WITNESS of which, I have signed and executed this Bond of Indemnity on this the _____ day of _____ (year) at (place) _____ in the presence of the witness and sureties named below.

Signature of INDEMNIFIER
Name and Address –
On behalf of My Son/Daughter
(Name of Candidate).....

SURETIES

We, (1) Shri _____ son of _____
residing at _____ and
employed (in case working) as _____ in
_____ Department, Government of India/Rajasthan. And

(2) Shri _____ son of _____ residing
at _____ and employed
(in case working) as _____ in
_____ Department, Government of India/Rajasthan.

Hereby stand as SURETIES to this Bond executed by Shri _____
Son/Daughter of _____
residing at _____ in
favour of Government of Rajasthan. We undertake the liability of the bond amount to the extent
of the bond amount. If the Indemnifier of this Bond fails to discharge their obligations under the
Bond, We will pay the bond amount with interest at the rate of 12% per annum (or as decided
by the Government of Rajasthan). We further hereby bind ourselves and each of us, and each
of our heirs, executors and administrators jointly and severally to pay to the Indemnified-on
demand of the Scholarship amount received by (candidate name) _____
the Indemnifier under this Bond.

1. Signature,
Name and Designation (SURETY-1),

Address :

2. Signature,
Name and Designation (SURETY-2)

Address :

WITNESSES

1. Signature,
Name and Address

2. Signature,
Name and Address

(Note- 1. This affidavit is to be executed on a Rs. 500/- non-judicial stamp paper duly notarized & signed on each page

2. Self-Attested & counter signed copy of Aadhar of sureties & witnesses and self attested full copy of Parental Property should be attached with Indemnity bond, if sureties are Govt. Employee then their Self Attested Govt-ID also be attached.)

शपथ—पत्र

(In case No Parental Property)

(आवेदक 18 वर्ष से कम या विदेश में होने पर अभिभावक द्वारा 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेराईज्ड)

मैंपुत्र/पुत्रीआयु.....जाति..... निवासी.....
.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

5. मेरे पुत्र/पुत्री ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में वर्ष **2025-26** के लिए आवेदन किया है, व उसका स्कॉलरशिप आई डी..... है।
6. यह कि मेरा पुत्र/पुत्री उक्त पते का/की स्थाई निवासी है।
7. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री एवं मेरे परिवार के नाम कोई सम्पत्ति नहीं है और भारत देश के किसी भी जगह मेरे या मेरे पुत्र/पुत्री के नाम से किसी भी राज्य में चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।
8. यह है कि मैं यह शपथ पत्र मेरे, मेरे माता/पिता व मेरे पुत्र/पुत्री के नाम से कोई सम्पत्ति नहीं होने के संदर्भ में पेश कर रहा/रहीं हूँ।

हस्ताक्षर व नाम शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र के समस्त तथ्य सही एवं सत्य है। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर व नाम सत्यापितकर्ता